

**IN THE SUPREME COURT OF INDIA**  
**CRIMINAL ORIGINAL JURISDICTION**  
**WRIT PETITION (CRIMINAL) No. 307 of 2020**

**IN THE MATTER OF:**

KERALA UNION OF WORKING JOURNALISTS

...PETITIONERS

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENTS

**INDEX**

<b>SR. NO.</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE NOS.</b>
1.	Affidavit on behalf of the Respondent Nos. 2 & 3 State of Uttar Pradesh	<b>1-22</b>
2.	<b><u>ANNEXURE A-1</u></b> True copy of the documents pertaining to the Case Diary of the instant case	<b>23-57</b>
3.	<b><u>ANNEXURE A-2</u></b> True copy of order dated 04.11.2020 passed by Ld. CJM, Mathura in FIR No. 199 of 2020	<b>58-67</b>
4.	<b><u>ANNEXURE A-3</u></b> True copy of the Bail rejection order dated 13.11.2020 of the three accused	<b>68-79</b>
5.	<b><u>IA NO. OF 2020</u></b> Application for exemption from filing official translation and notarised	<b>80-81</b>

FILED BY:

  
**[GARIMA PRASHAD]**

COUNSEL FOR RESPONDENT NOS.2&3

PLACE: NEW DELHI

DATED: 20.11.2020



- (iii) The petitioner has resorted to falsehood and has made several false statements on oath only to sensationalise the case which would become clear on perusal of the following facts.
- (iv) None of the fundamental rights of either the petitioner or anybody else is affected except in accordance with law.

The present petition directly under Article 32 of the Constitution of India is not maintainable and it is for the person in judicial custody who can approach the jurisdictional High Court namely High Court of Allahabad. The person in custody namely Siddique Kappan is the Office Secretary of Popular Front of India (PFI) using a journalist cover by showing identity card of a Kerela based newspaper named as 'Tejas' which was closed in 2018. It is revealed during investigation that he along with other PFI activists and their student wing (Campus Front of India) leaders were going to Hathras under the garb of Journalism with a very determined design to create a caste divide and disturb law and order situation were

found carrying incriminating material. When he was brought by STF to Delhi, he misled the police by giving wrong residential address which was found invalid. He did not assist in the investigation and gave misleading details. His flat mate who is also a member of PFI and its various wings denied access. Finally, armed with search warrants, when the premises was searched by the police, further incriminating material has been recovered all of which is the subject matter of investigation as stated hereunder.

## **2. False statements by Petitioner :**

- A. The petitioner has approached this Hon'ble Court on 06.10.2020 immediately next day after the arrest of accused Siddique Kappan on evening of 05.10.2020 falsely stating that "*petitioner could not gather any information about the place of detention or other details.*" The petitioner concealed the fact that a lawyer hired by them was appearing before the Magistrate at Mathura on 06.10.2020 and had full knowledge of the

time and place of production of the accused before the Ld. Magistrate on 06.10.2020 and were fully aware of the entire proceedings. This fact has now been revealed by the petitioner themselves in pleadings filed by them a month later.

- B. The writ petition falsely states that *the family members of the accused were not informed* about the arrest nor the place of arrest. It is stated that immediately after arrest of accused Sidhique Kappan on 05.10.2020, he gave contact details of his brother Mr. Amza (7818965912). The Police through the mobile phone of Constable Vinay Rahi (8218930540) informed Mr. Amza on 05.10.2020 itself about the time and place of arrest, and exact location where the accused was detained. That again on 07.10.2020 the accused provided contact number of his maternal uncle Hamid Khan (9005582020). The Police duly informed Mr. Hamid Khan on 07.10.2020 about the arrest in Case Crime No. 199 of 2020.

That on 06.10.2020, the Station House Officer, PS Manth, District Mathura also sent an email/ Fax to the Superintendent of Police, District-Malappuram, Kerala wherein he requested the concerned SSP Malappuram, Kerala to inform/appraise the family members of accused Mr. Sidhique Kappan of the fact that the Sub Divisional Magistrate of Manth District has passed an Order under Section 151, 107 and 116 of the Cr.P.C and accordingly sent Mr. Sidhique Kappan to District Jail Mathura in judicial custody for 14 days.

- C. The applications filed later by petitioner *falsely alleges that neither the family members nor the lawyers have been allowed access to the accused. At the outset, it is stated that no family member of the accused has approached the jail authorities till date for meeting the accused.* It is further stated that no lawyer has ever approached the jail authorities with a Vakalatnama to be signed by the accused Siddique Kappan till date. Further, at least three lawyers travelling

from Delhi and four from Mathura District have been appearing before the competent Court on each date when all the four accused have been produced before the Ld. Court.

The other three accused had filed their three separate bail applications on 15.10.2020, 20.10.2020 and 30.10.2020 and the hearing of all these bail applications took place for over nine dates by their team of lawyers. The bail applications were heard for over nine days on 22.10.2020, 29.10.2020, 04.11.2020, 05.11.2020, 09.11.2020, 10.11.2020, 11.11.2020, 12.11.2020 and 13.11.2020 before the Ld. ASJ-11 Mathura, which was consequently heard and finally rejected on merits on 13.11.2020 by a detailed speaking order. It is evident that there has been a deliberate attempt by the petitioner to file the Bail Application on behalf of the accused herein directly before this Hon'ble Court instead of approaching the competent court.

That on 04.11.2020 all the four accused were present before the Court for Ld. CJM Mathura permission to be taken on police remand for 48 hours. It is pertinent to state that a team of lawyers from Delhi and District Mathura appeared on behalf of all the accused including accused Kappan on 04.11.2020. The said team of lawyers strongly contested the remand application filed by STF. That vide the same order dated 04.11.2020, the Ld. CJM has also permitted all these lawyers of the accused to be present during the remand proceedings by maintaining social distancing, without interfering in the Police remand proceedings.

That on 06.11.2020 upon production of all the four accused by the STF before the Ld. CJM, Mathura, again permitted the team of more than seven lawyers of the accused to interact with the accused, after which the accused were taken to the main Mathura Jail. It is pertinent to state that on 06.11.2020 one Mr. Maula Ali, Advocate, who had come from Delhi duly interacted with



accused Sidhique Kappan at the Court premises with the permission of the Ld. CJM.

That during the judicial custody of accused Sidhique Kappan, on his written requests, he has interacted with his family members on three occasions on phone on 02.11.2020, 10.11.2020 & 17.11.2020. It is pertinent to note that accused Sidhique Kappan has never requested to meet any relative or any lawyer nor has file any such application before the competent Court / Jail Authorities till date. A tabular chart of the various dates of interaction are as under:-

<b>Name of the accuse and address</b>	<b>Mobile number on which call made</b>	<b>Relation to whom the call was made</b>	<b>Date of communication / call</b>
Sidhique Kappan S/o Mohammad R/o Charor, P.S. Bagra, Malapuram, Kerala	9048358546	Mother	02.11.2020
	9048358546	Mother	10.11.2020
	9810068631	wife	17.11.2020

However, it has been later revealed that the phone number 9810068631 is of a lawyer which he did not disclose to the

authorities. A completely false narrative is being made that he is not being permitted to talk to relatives or lawyers.

The Petitioners have filed an affidavit of a lawyer as an Annexure P-5 to the Cr.M.P. 111099 of 2020 alleging words like "*slaves*", "*ropes*", "*hand cuffs*", "*Kashmiri women shouting*", "*hunger*" in respect of some other accused only to sensationalize the entire case. The contents of the said annexure are completely false and are vehemently denied. In fact, the said affidavit conceals the fact that on 16.10.2020, while all the four accused including Siddique Kappan were in quarantine in the temporary jail at Mathura, the Deputy Jailer Mathura has confirmed that a call was received from mobile number 9810068631 from a person who claimed himself to be lawyer of all the four accused in custody. He did not disclose his name and wanted to meet all the four accused. He was informed that due to quarantine restrictions in the temporary jail, meeting was permitted only after taking due permission from the concerned Court. It is denied that he approached the jail authorities

with any vakalatnama. In fact, from the Court records, it is found that an application was filed before the Ld. CJM Mathura seeking permission to meet the accused which was rejected by Ld. CJM vide its order dated 16.10.2020. It is submitted that no request in writing has been received by the Mathura Jail Authorities from any lawyer in respect of the accused Siddique Kappan for any vakalatnama nor any order has been passed from the concerned Court till date.

- D. The petition falsely alleges that arrest of accused herein i.e. Siddique Kappan was completely unlawful and *that no notice or order was served on the detenue requiring him to execute a bond as envisaged under section 107 Cr.P.C.* It is submitted that during the arrest and detention of the accused herein the guidelines issued by this Hon'ble Court in the case of *D K Basu vs. State of West Bengal (1997 1SCC 416)* has been dutifully followed by answering Respondent as is evident from the following facts.

### 3. **FACTS IN BRIEF:**

- a) That on 05.10.2020, during the course of the checking the vehicles heading towards the Bhoolgadhi, the passengers of one Swift Desire car bearing No. DL1 ZC 1203 carrying incriminating pamphlets got much agitated and abusive and behaved in suspicious manner speaking words like "*die or kill, we will not give up.*" Thus, in order to prevent the commission of offence the police official of P.S Manth arrested the occupants of the car/ Accused including Sidhique Kappan at the Toll Plaza Manth, under Section 151/107/116 of Cr.P.C.
- b) That mobile phones, Laptop, Pamphlets having headlines of Justice for Hathras Victim etc. were duly seized and sent to *Maal khana*, and information of such arrest was duly conveyed to the relatives of Mr. Sidhique Kappan, all of which was duly entered in the General Diary details bearing G.D. No. 041 dated 05.10.2020 at about 20:52 Police station-Manth, District-Mathura, Uttar Pradesh.

- c) That thereafter accused Mr. Sidhique Kappan was taken for medical examination by Doctors in CHC Manth/ District Hospital, Mathura and details of the same were duly entered in the General Diary details bearing G.D. No. 021 dated 06.10.2020 at about 08:57 Police station-Manth, District-Mathura, Uttar Pradesh.
- d) That as soon as Mr. Sidhique Kappan provided the contact details of his relatives to police officials of P.S Manth, the concerned police official namely Mr. Vinay Rahi timely and diligently informed Mr. Amza (7818965912) - brother of Mr. Sidhique Kappan about the arrest and also provided the other relevant information of arrest such as time and place of arrest, and exact location where the Mr. Sidhique Kappan was detained. A diary entry was also made in respect of the information of the arrest which was duly provided to the brother of Mr. Sidhique Kappan through the mobile phone of Constable Vinay Rahi (8218930540) to the mobile number of Mr. Amza (7818965912) and an 'Accused Arrest

Information Memo' was also prepared in this regard. The details of the same were duly entered in the General Diary details bearing G.D. No. 021 dated 06.10.2020 at about 08:57 Police Station-Manth, District-Mathura, Uttar Pradesh.

e) That on 06.10.2020, Mr. Sidhique Kappan along with the Chalani Report prepared under Section 151 of CrPC were presented before the Sub-Divisional Magistrate, Manth and upon being satisfied with the Chalani report the concerned Sub-Divisional Magistrate, Manth was pleased to pass an order under section 111 of Cr.P.C. **It is pertinent to state that the contents of order issued under section 111 CrPC were read out to the accused Mr. Sidhique Kappan which was also signed by the accused.**

f) That on 06.10.2020 the Sub-Divisional Magistrate, Manth ordered the accused Mr. Sidhique Kappan to be sent to District Jail Mathura in Judicial Custody for 14 days since no documents pertaining to *Muchalka* and Surety were presented/ furnished before the Court of Sub-Divisional

Magistrate and subsequently a Warrant for Custody dated 06.10.2020 has also issued under section 167 Cr.PC to the District Jail Superintendent, Mathura to ensure the presence of Mr. Sidhique Kappan on the dates fixed before the Ld. Court.

g) That on 06.10.2020, the Station House Officer, PS Manth, District Mathura (U.P) has also sent an email/ Fax to the Superintendent of Police, District-Malappuram, Kerala wherein he requested the concerned SSP Malappuram, Kerala to inform/appraise the family members of accused Mr. Sidhique Kappan of the fact that the Sub Divisional Magistrate of Manth District has passed an Order under Section 151, 107 and 116 of the Cr.P.C and accordingly sent Mr. Sidhique Kappan to District Jail Mathura in judicial custody for 14 days.

h) That an F.I.R has been registered bearing No. 0199 on 07.10.2020 with Police Station-Manth under section 153-A, 295-A, 124-A of the Indian Penal Code,1860 (hereinafter

referred to as IPC) and Section 17, 18 of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (hereinafter referred to as "UAPA") and Section 65,72, and 75 of Information Technology (Amendment) Act 2008. In furtherance of the registration of F.I.R the details of the same were also duly entered in the General Diary Details bearing G.D. No. 008 dated 07.10.2020 at about 06:13 Police station-Manth, District-Mathura, Uttar Pradesh.

- i) On 07.10.2020 a diary entry was made in respect of '*Ravaangi*' towards Ld. District Court of Mathura seeking remand order of accused Mr. Siddique Kappan. That another diary entry was made on 07.10.2020 stating about the an email sent by SHO Police State-Manth, District-Mathura to SSP District Malappuram Kerala informing him about the arrest of the accused along with companions who were member of Campus Front of India under the Sections 151,107,116 Cr.P.C on 05.10.2020 and has been sent to Judicial Custody for 14 days. it was informed that after further investigation a case crime no.199/2020 under



section 153-A, 295-A,124-A IPC Section 17, 18 of UAPA and Section 65, 72, and 75 of Information Technology (Amendment) Act 2008 has been registered against Mr. Siddique, and the Hon'ble Chief Judicial Magistrate has sent him in District Jail Mathura in Judicial Custody and it was further requested to SSP Malappuram, Kerala that the same be informed to the family members of Mr. Siddique Kappan.

- j) That on 07.10.2020 itself a diary entry was also made in respect of the information of the registration of F.I.R. in aforesaid sections which was duly provided to the maternal uncle of the Mr. Siddique Kappan through the mobile phone of Head Constable Satish Kumar (8299567565) to the mobile number of maternal uncle i.e. Hamid Khan (9005582020). And an 'Accused Arrest Information Memo' was also prepared in this regard.

- k) On 07.10.2020 a detailed Case Diary bearing no. CD 1 has been prepared in furtherance to the investigation starting at

6.30 AM and concluding at around 13.30 PM wherein the entire details of the investigation that has been conducted during the said period was also duly entered/recorded in the said Case Diary.

l) On 07.10.2020 a Case Diary bearing No. CD2 has been prepared in furtherance to the investigation starting at 18:00 pm and concluding at 19:00 pm wherein the entire details of the investigation that has been conducted during the said period were duly entered/recorded in the said Case Diary.

m) On 08.10.2020 a Case Diary bearing No. CD3 has been prepared in furtherance to the investigation starting at 17:00 pm and concluding at 18:00 pm wherein the entire details of the investigation that has been conducted during the said period were duly entered/recorded in the said Case Diary.

n) That thereafter, a report dated 07.10.2020 was submitted

by the Station House Officer, PS Manth, District Mathura before the Hon'ble Chief Judicial Magistrate, Mathura seeking remand of the accused Mr. Sidhique Kappan among others after clearly specifying the applicable relevant sections.

- o) That, a Remand Sheet dated 07.10.2020 was issued by the Hon'ble Chief Judicial Magistrate, Mathura wherein the Mr. Sidhique Kappan was ordered to be in the judicial custody till 20.10.2020 as recorded in the said remand sheet.

True copies of the documents pertaining to the case diary of the instant case are annexed is annexed therewith and marked as **ANNEXURE CA-1 (pp \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_)**.

4. That the investigation was thereafter handed over to the Special Task Force (STF) on 23.10.2020 and STF has been conducting detailed investigation of the entire case and they have been filing progress reports before the State Government from which it has been revealed that further incriminating evidence has been found against all the four

accused including the accused Siddique Kappan. The investigation by STF in the matter is ongoing. It is therefore submitted that the bail application filed by the Petitioner herein in respect of accused Siddique Kappan being devoid of merits deserves to be rejected.

That on 04.11.2020 all the four accused was taken on Police Custody Remand by the Special Task Force (STF) for 48 hours in terms of the order passed by Hon'ble CJM Mathura. It is pertinent to state that a team of lawyers from Delhi and District Mathura appeared on behalf of all the accused including accused Kappan on 04.11.2020. The said team of lawyers strongly contested the remand application filed by STF. That vide the same order dated 04.11.2020, the Ld. CJM has also permitted all these lawyers of the accused to be present during the remand proceedings by maintaining social distancing, without interfering in the Police remand proceedings. True copy of order dated 04.11.2020 passed by Ld. CJM, Mathura in FIR No. 199 of

2020 is annexed and marked herewith as **ANNEXURE CA-2 (pp to )**.

5. That in the meanwhile, the other three co-accused had filed their three separate bail applications before the Ld. Additional Session Judge-11, Mathura and the same was heard on more than nine dates and finally rejected by the Ld. ASJ-11 on 13.11.2020. It is pertinent to state that the same team of lawyers who opposed the PCR application filed by STF before Ld. CJM Mathura, including three lawyers from Delhi argued on all nine days of hearing on bail applications on 22.10.2020, 29.10.2020, 04.11.2020, 05.11.2020, 09.11.2020, 10.11.2020, 11.11.2020, 12.11.2020 and 13.11.2020 before the Ld. ASJ-11 Mathura, which was consequently heard and finally rejected on merits on 13.11.2020 by a detailed speaking order. True copy of the Bail rejection order dated 13.11.2020 of the three accused is annexed herewith and marked as **ANNEXURE CA-3 (pp to )**.

That all the allegations of the Petitioners in the writ petition and their applications are not correct and are entirely devoid of any merits and hence denied in toto.

6. It is submitted that during the investigation conducted so far, the evidence of the accused having links with banned organizations has emerged. As the investigation is going on by the Special Task Force, the facts which have emerged so far are not filed in the present Affidavit. It is, however, submitted that out of the four persons arrested on 5.10.2020 [including the petitioner], the remaining three persons have filed bail applications which are rejected by the competent court with detailed reasons.

That the Answering Respondents are filing this affidavit before this Hon'ble Court and are seeking further liberty of filing Counter reply/detailed Counter affidavit as per directions of this Hon'ble Court.

That in view of the facts narrated in above paragraphs, this Writ Petition instituted by the petitioners is devoid of merits and deserves to be rejected.

  
**DEPONENT**

**VERIFICATION:**

Verified on this    day of November, 2020 that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

  
**DEPONENT**

1. जिला मथुरा थाना मॉट
2. नाम अभि० सिदीक पिता का नाम मोहम्मद निवासी चरौर  
थाना वैणरा जिला मालापुरम केरल
3. मु०अ०सं०..... धारा 151/107/116 सीआरपीसी
4. गिरफ्तारी का स्थान चौकी दोलप्लाजा दिनांक / समय 05/10/2020 16:50 बजे
5. गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मियों के नाम,  
पदनाम, व नियुक्त का स्थान निरीक्षक श्री श्रीम सिंह जावला, उपनि श्री. सानेन्द्र सिंह सोलंकी  
हे०का० 450 सतीशचन्द्र हे०का० 749 श्री सिंह हे०का० 889 महेशचन्द्र का० 1721 महेंद्र सिंह  
का० 1088 रोहित कुमार, का० 2120 विनय राही. का० 1764 योगेश कुमार
6. स्थानीय साक्षी जिसकी उपस्थिति में गिरफ्तारी की गयी .....
7. गिरफ्तारी के समय अभियुक्त से प्राप्त धन राशि व अन्य वस्तु आदि का विवरण.....
8. साक्षीगण के हस्ताक्षर..... 5/10/20
- (1) म. लीला चर्क
- (2) म. श्रीदीपिका म. गुरुदेव
9. अभियुक्त का हस्ताक्षर.....
10. पुलिस अधिकारीगण / कर्म०का हस्ताक्षर.....




5/10/20



## अभियुक्त गिरफ्तारी सूचना प्रपत्र

1. जिला मथुरा थाना मांट
2. नाम अभि० सिदीक पिता का नाम मोहम्मद निवासी चरौर  
थाना वांगरा जिला मालापुरम (केरल)
3. जिस अपराध में गिरफ्तार किया गया।  
मु0अ0रि0..... धारा 151/107/1104PC थाना मांट मथुरा
4. गिरफ्तारी का स्थान टील दलाजा मांट दिनांक/समय 05/11/2020  
16.50
5. गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मियों के नाम  
पदनाम व नियुक्त का स्थान फासि श्रीम सिंह जावला, 51 इरि ज्ञानेन्द्र सोलंकी  
HC 749 श्री सिद्ध, HC 888 मेहेम चन्द्र, HC 450 वत  
चड, 172 मेहेम सिंह, 41088 रोहित कुमार,  
41761 मेहेम कुमार, 42120 विनम कुमार राठी  
थाना मांट जनपद मथुरा
6. परिवारिक/रिश्तेदार का नाम पता जिसे सूचना दी गयी अभियुक्त सिदीक उपरोक्त  
की गिरफ्तारी की सूचना आर 2120 विनम राठी के मोबाइल नं० 8218930  
से अभियुक्त के भाई आमर के मोबाइल नं० 7818965912 पर दी गयी
- के हस्ताक्षर.....  
42120 विनम कुमार  
थाना मांट, मथुरा  
दिनांक 06/10/2020
10. पुलिस अधिकारीगण/कर्मियों का हस्ताक्षर.....  
1150 अंकित कुमार  
थाना मांट मथुरा  
दिनांक 06/10/2020



2. प्रमोद शं. लतीत पहलवान शि. वेरकेर शाना  
कोतवाली जनापड- रागपुर (उ.प्र.)
3. विदीप शं. गोमनाथ शि. वेरकेर शाना कोरा जनापड  
गालापुरग (छेरल)
4. सरुनद शं. खडील कल्याण शि. परवला रोड  
शाना जखल जनापड - वरदाच (उ.प्र.)

महोदय ग. लोकाचर  
HC-749 अ. शि. शि. शि.  
140 450 शि. शि. शि.

श्री. शि.  
© 17.21 मेहडु उवाप शि. शि.  
C1088 शि. शि. शि.  
42120 शि. शि. शि.  
C1764 शि. शि. शि.

SKO  
5/10/2020

**General Diary Details**  
**सामान्य दैनिकी विवरण**

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): मांट

District (जिला): मथुरा

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 041

2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 05/10/2020 20:52 बजे

3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): निवारक कार्रवाई में गिरफ्तारी

4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): PS MANTH

5. Case Type (प्रकरण के प्रकार): प्रौढ

6. G.D. Brief (रोजनामचा संक्षिप्त):

वापसी एसएचओ व दाखिला 4 नफर अभियुक्त अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी व दाखिला एक अदद गाडी स्विट डिजायर न0 DL1 ZC 1203 मय 6 अदद स्मार्टफोन व एक लैपटॉप डेलवेस्ट्रो P75F109 व पम्पलेट (जस्टिस फोर हाथरस विकटम) व 4 आई कार्ड अभियुक्तगण में एसएचओ भीम सिंह जावला मय उ0नि0 श्री जानेन्द सिंह सोलंकी मय हमराही कर्मचारी गण हे0का0 450 सतीशचन्द व हे0का0 749 भूरी सिंह व हे0का0 888 महेशचन्द व का0 1721 महेन्द सिंह व का0 1088 रोहित कुमार व का0 2120 विनय राही व तलविदा का0 1764 योगेश कुमार मय वाहन सरकारी का0 चालक विनोद कुमार के रवाना शुदा रफता रफत रो0 आम तारीखी इमरोजा से 4 नफर अभियुक्त 1- अतिकुर्रहमान पुत्र रोनाक अली निवासी नगला थाना रतनपुरी जिला मुजफ्फरनगर 2- आलम पुत्र लयीक पहलवान निवासी ग्राम घेरफतेर खान थाना कांतवाली जिला रामपुर (3)सिदीक पुत्र मोहम्मद निवासी चरौर थाना वैगरा जिला मालापुरम केरल (4) मसूद पुत्र सकील अहमद निवासी कस्बा -जरवल रोड थाना जरवल जिला वहराइच व 6 अदद मोवाइल (1) सैमसंग GT-I190601 ईएमआई न0 353501070080035/01, 353502070080633/01 (2) MI Y1 ईएमआई न0 868620033989605, 868620033989613 (3) रैडमी 7A ईएमआई न0 862553047131771, 8625530447131789 (4) रैडमी 6A ईएमआई न0 860409043158676, 860409048158671 (5)रियलमी -3PRO ईएमआई न0 863611046049078, 8636110460499060 (6) रैडमी 8 ईएमआई न0 866081043426553, 866081043426561 (7) ए0वी0आर0डी व 4650 रूपये व एक लैपटॉप डेल वेस्ट्रो न0 E75F109 व पम्पलेट जस्टिक फोर हाथरस विकटम 03 सेट (51 पेज) व 4 आई कार्ड मय एक अदद गाडी स्विट डिजायर न0 DL1 ZC 1203 अभियुक्तगण गिरफ्तार शुदा हमराही कर्मचारी गण की मदद व जर् हिरासत निगरानी खुद के थाना वापस आये अभियुक्तगण उपरोक्त की वाद लिवाने मजिद जामा तलाशी रूवरू संतरी पहरा व आरिन्दगान के लिवायी गयी तो उपरोक्त अभियुक्तगणों की जामातलाशी से 4650 रूपये वरामद हुये जिस्म जरवात ताजा से पाक साफ है अलावा उन चोटों के जो दौराने गिरफ्तारी आयी हो पुलिस दुर्व्यवहार के साकी नहीं है उपरोक्त अभियुक्तगणों को अन्दर हवालात मर्दाना कर अन्दर मालग्रह से वास्ते इस्तेमाल हेतु टरी व कम्बल देकर व उपरोक्त माल 6 अदद मोवाइल (1) सैमसंग GT-I190601 ईएमआई न0 353501070080035/01, 353502070080633/01 (2) MI Y1 ईएमआई न0 868620033989605, 868620033989613 (3) रैडमी 7A ईएमआई न0 862553047131771, 8625530447131789 (4) रैडमी 6A ईएमआई न0 860409043158676, 860409048158671 (5)रियलमी -3PRO ईएमआई न0 863611046049078, 8636110460499060 (6) रैडमी 8 ईएमआई न0 866081043426553, 866081043426561 (7) ए0वी0आर0डी व 4650 रूपये व एक लैपटॉप डेल वेस्ट्रो न0 E75F109 व पम्पलेट जस्टिक फोर हाथरस विकटम 03 सेट (51 पेज) व 4 आई कार्ड चिट बन्दी कर अन्दर मालग्रह रखवा कर ताला बन्द ठीक माल ग्रह व मर्दाना हवालात हर दो ताले जात बन्द ठीक संतरी पहरा को दिखाया गया तथा एक अदद गाडी स्विट डिजायर न0 DL1 ZC 1203 टोल प्लाजा पर आरक्षी की निगरानी में खडी करायी गयी वाक्यात गिरफ्तारी इस प्रकार है कि मैं SHO मय हमराहीयान कर्मचारीगण उपरोक्त के टोल प्लाजा मांट यमुना एक्सप्रेसवे पर भूलगडी जाने वाले वाहनो की चैकिंग कर रहे थे कुछ ही देर वाद नोयडा की तरफ से स्विफ्ट डिजायर गाडी न0 DLA-ZC-1203में सवार उपरोक्त लोग आये ओर कहने लगे हम मृतिका मनीषा बहन को न्याय दिलाने उनके घर हाथरस जा रहे है और बहन मृतिका मनीषा को न्याय दिलाकर ही वापस लौटेंगे इस बात को लेकर हम पुलिस वालों ने इन्हे काफी समझाया बूझाया गया नहीं माने वल्कि उत्तेजित होकर कहने लगे कि चाहे हमें हाथरस में जाकर मरना या मारना पडे हम नहीं मानेंगे इनके तेवर देख कर यह प्रतीत हो रहा है कि यह लोग आवश्यक रूप से हाथरस में शान्ति व्यवस्था भंग करेगे इनको इनके इस तरह से भाषा कृत्य से समझाने का प्रयास किया गया नहीं माने और इस बात पर अडे रहे कि हम हाथरस जरूर जायेगे चाहे वहाँ की शान्ति व्यवस्था भंग हो जाये उपरोक्त अभियुक्तगणों को समय करीव 16.50 बजे अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी हस्व कायदा गिरफ्तार किया गया यदि अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो अवश्य ही उत्तेजित होकर कोई अप्रिय घटना घटित कर शान्ति व्यवस्था भंग कर देते। अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की सूचना द्वारा उचित माध्यम अभियुक्तगणों के परिजनो को दी गयी अभियुक्तगणों को थाने लाये है दाखिल करते है समय से सन्नद्धित मा0 न्यायालय पेश किया जायेगा रवाना शुदा असलाह कारतूस मालग्रह रखवा कर ताला बन्द ठीक मालग्रह संतरी पहरा को दिखाया चार्ज थाना जुम्मे स्वम लिया गया तथा अभियुक्तगणों से जामातलाशी की विवरण अभियुक्त मौहम्मद आलाम जिसका आधार कार्ड न0 469908539950 व अभियुक्त सिदीक पेन कार्ड न0 EMJPK9437G तथा पम्पलेट विवरण Justice for Hathras victim A19 year old girl from Hathras village in India was brutall assaulted by four men , succumatet to injuries in Delhi,s safdarjang. Her body was cremated by the police in a horrifying video which shows the matter of the poor girl crying and begging for a chance to take her daughter home. Police barricaded the family inside their home and burnt the body without letting anybody know. Linc for Hathras Gang Rape victim Justice for Hathras Rape Victim in 2020 Justice for Hathras Victim #resign prime minister introduce sex education in schools fundraiser for the victims family. Page No. 2 emails that you can send educate yourself list of protests Page No 3 KOLKATA MARSHAL MARCH Page No 4 AHMEDABAD SURAT Page No 5 PROTEST IN SURAT CHENNAI Page No 6 AM I NOT INDIA,S DAUGHTER general protest rules help india resources for survivors Page No 7 general protest rules tear gas secure your phone Page No 8 1 to 6 point

Page No 9 Extra information Page No 10 safety during a protest what to wear what to bring teargas if you get arrested extra points you should know Page No 11. Protection treatment Page No 12. What to not wear what to wear Page No 13. What to do and know Page No 14. What to not do what to bring Page No 15. IF YOU GET ARRESTED , KNOW YOUR RIGHTS Page No 16. If someone gets arrested extra information Page No 17. Blank

हुलिया अभियुक्तगण उपरोक्त

1. अतिकुरहमान उपरोक्त- नाक कान कट औसत रंग गन्दुम दोहरा मजबूत जिस्म उम्र 28 वर्ष लम्बाई 5फुट 7 इंच ।
2. आलम उपरोक्त- नाक कान कट औसत रंग साफ दोहरा मजबूत जिस्म उम्र 37 वर्ष लम्बाई 5फुट 7 इंच ।
3. सिद्दीक उपरोक्त- नाक कान कट औसत रंग साफ इकहरा मजबूत जिस्म उम्र 41 वर्ष लम्बाई 5फुट 6इंच ।
4. मसूद उपरोक्त - नाक कान कट औसत रंग गन्दुम दोहरा मजबूत जिस्म उम्र 28 वर्ष लम्बाई 5फुट 4 इंच ।

7. Subject (विषय):

वापसी एसएचओ व दाखिला 4 नफर अभियुक्त अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी व दाखिला एक अदद गाडी स्वित डि

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
----------------	----------------	---------------------

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 07/10/2020

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): PS MANTH

Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): PS MANTH

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): 9454403944





Challan Report under Section 151 of Cr.P.C, P.S Maant  
State Government through S.H.O. Bheem Singh Jaawla, P.S  
Maant, Matura

Versus

1. Atikurrahman S/o. Raunaq Ali R/o. Nagla, P.S Ratanpuri,  
District Muzaffarnagar, aged about 28 Years.
2. Alam S/o. Layeek Pahalwan R/o. Village Gherfater P.S  
Kotwali, District Rampur aged about 37 Years.
3. Siddiquie S/o. Mohammad R/o. Charaur, P.S Vegra,  
District Mallapuram (Kerala) aged about 41 Years
4. Masood S/o. Shakil Ahmad R/o. Kasba Jarbal Road, P.S  
Jarwal, District Bahraich, aged about 28 Years.

To,

The Hon'ble Parganadhikari  
Maant, Mathura

Sir,

It is submitted that as per the order of Sr. Officers, I, Bheem Singh Jaawla, S.H.O. along with Constable Yogesh, Constable Vinay Rahi, S.P. Gajendra Solanki and Ct. Satish, H.C Bhuri Singh, H.C Mahesh, Ct. Mahendra and Ct. Rohit have been conducting checking at Toll Plaza, Yamuna Expressway of people going to Hathras by vehicles. In a few moment, above persons travelling by a Swift Dzire Vehicle bearing Regd. No. DL1ZC 1203 came over there and said that we are going to provide justice to deceased sister Manisha to her house situated at Hathras and we will return only after providing justice to deceased sister Manisha. On this issue, we the Police Personnel

tried a lot to convince them, but they did not pay any heed, rather having got aggressive they started saying that we will go to Hathras even we have to kill or get killed over there. Seeing their attitude, it was clear that they are definitely going to Hathras to create law and order problem over there. Effort was made to persuade them not to indulge in such kind of language and act, but they kept on insisting that they will definitely go to Hathras even if law and order situation over there may be breached, on which above accused persons were arrested at around ... under Section 151, 107, 116 of Cr.P.C. Had they not been arrested in time, it would have definitely created law and order situation and any untoward incident may have occurred. It is also not in public interest to let them remain free in future.

Challan Report of accused persons namely (1). Atikurrahman (2). Alam (3). Siddiquie (4). Masood is hereby sent under Section 151, 107, 116 of Cr.P.C that they be sent to jail.

Therefore, it is requested that above named accused persons be instructed to furnish bail bond of maximum amount.

Report is humbly sent.



Encl:

32

1. Challan Report-1 No.
2. Copy of Report-1 No.

Sd/-illegible

S.H.O.

(Bheem Singh Jaawla)

P.S Maant, Mathura

Names of witnesses:

1. S.I. Gyanendra Solanki, P.S Maant, Mathura.
2. H.C Bhuri Singh P.S Maant, Mathura.
3. H.C Mahesh, P.S Maant, Mathura.
4. H.C Satish, P.S Maant, Mathura.
5. Ct. Vinay Rahi, P.S Maant, Mathura.
6. Ct. Yogesh, P.S Maant, Mathura.
7. Ct. Mahendra, P.S Maant, Mathura.

(TRUE TRANSLATED COPY)

E MAIL FAX

TO: SUPERINTENDENT OF POLICE, DISTT. MALAPPURAM, KERALA


FROM: SHO, PS-MANTH, DISTT. - MATHURA(C.P.) [EMAIL: pmanth.ota.ap@gmail.com]

No: MANTH GENERAL - 2020

Date: OCTOBER - 06, 2020

KINDLY INFORM YOU THAT MRS. SIDHIQUE KAPPAN SO LATE MRS. MOHAMMAD SURESH KAPPAN R O VILLAGE CHURUR POLICE STATION VENGARA DISTT. MALAPPURAM SURESH IS ARRESTED BY MATHURA POLICE WITH HIS TWO COMPAINIONS WHO ARE MEMBER OF CAMPUS FRONT OF INDIA, UNDER SECTION 151, 107, 116 CR.P.C. ON DT- 05.10.2020 SUB DIVISONAL MAGISTRATE OF MANTH DISTT. MATHURA SENT HIM DISTT. MALAPPURAM IN JUDICIAL CUSTODY FOR 14 DAYS.

IT IS REQUESTED TO INFORM HIS FAMILY MEMBERS.

  
SHO,  
6/10/2020

भीमसिंह जावला SHO,  
प्रभारी निरीक्षक PS-MANTH,  
थाना मांट, मथुरा MATHURA(C.P.)

वारन्ट हवालात धारा 167 सी०आर०पी०सी०

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट, मॉट मथुरा ।

अ०स० नॉल

धारा-151/167/16 सी०आर०पी०सी०  
 थाना- मॉट ।  
 जिला- मथुरा

राज्य बनाम- श्री दीपक श्री गो.हरशद मि० चौरा - थाना- वैशख-जिला-मालापुर  
 (के०श०) उम्र 41 साल ।  
 जिला कारागार अधीक्षक मथुरा-

उपरोक्त अभियुक्त को उपरोक्त वाद में वारन्ट के साथ न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। जेल में अपनी अभिरक्षा में रखे तथा न्यायालय में नियत तिथि पर न्यायालय में पेश करना सुनिश्चित करें।  
 दिनांक 06-10-2020 से 19-10-2020 तक



उप जिला मजिस्ट्रेट  
 मॉट (मथुरा)

वारन्ट हवालात धारा 167 सी०आर०पी०सी०

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट, मॉट मथुरा ।

अ०स० नॉल

धारा-151/167/16 सी०आर०पी०सी०  
 थाना- मॉट ।  
 जिला- मथुरा

राज्य बनाम- श्री दीपक श्री गो.हरशद मि० चौरा - थाना- वैशख-जिला-मालापुर  
 (के०श०) उम्र 41 साल ।  
 जिला कारागार अधीक्षक मथुरा-

उपरोक्त अभियुक्त को उपरोक्त वाद में वारन्ट के साथ न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। जेल में अपनी अभिरक्षा में रखे तथा न्यायालय में नियत तिथि पर न्यायालय में पेश करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 06-10-2020 से 19-10-2020 तक



उप जिला मजिस्ट्रेट  
 मॉट (मथुरा)

न्यायालय मथुरा

6/10/20

6/10/20

- भारतीय न्यायपालिका संस्था, नया दिल्ली - 110 001

- राज्या वनाय - आदिपुरे वरमान 510 रोनक उल्लो वि०-नाका वानां रसनपुरी जिला मुख्य-गिर
- आलय 510 लडिका पदलवानं वि० वीरगौर वाना वाना कोलाकी जिला रमपुर
- सिपहीक-510 गोरगड वि०-रदौर वाना कोला जिला मालापुरम (बैरक)
- मरुद 510 शहीर अरम; वि० लरका परवल रोड वाना लरकाल जिला वरसिम

संख्या-151-107-116 दंप्रसं०

06.10.2020

आज उपरोक्त अध्यापन संस्था प्रकाश अतिरिक्त में वाना  
 मांटे से वाना-नाका रिपोर्ट द्वारा 151-107-116 CRPC  
 का-नापालय देश विभा गमा/ उपरोक्त वीका द्वारा  
 111 दंप्रसं० का आदेश पहल मुचाया गमा, जिके  
 उन्होने अस्वीकार कर दिया। उपरोक्त विपही गणों के  
 प्रचोदर विभा गमा, से आपस में आमदा-फलाड लेके  
 ली। उपरोक्त विपही गणों का कोडे भी मुचलका, जमानत  
 सम्बन्धी कागजात-नापालय प्रस्तुत रहे किमे गमे/अस,  
 आदेश हुआ कि उपरोक्त विपही गणों को जिला-  
 कारागार मयुरा भेजा जाके/ पतावली वाले तलवी दिनांक  
 19.10.2020 को पेश हो

Masud/Abu

Sida

Abu

A. K. K.

State

**36**

Versus

Atikur Rahman S/o. Raunaq Ali R/o. Nagla, P.S Ratanpuri,  
District Muzaffarnagar, Alam S/o. Layeek Pahalwan R/o. Village  
Gherfater P.S Kotwali, District Rampur, Siddiquie S/o.  
Mohammad R/o. Charaur, P.S Vegra, District Mallapuram  
(Kerala), Masood S/o. Shakil Ahmad R/o. Kasba Jarbal Road, P.S  
Jarwal, District Bahraich

Under Section 151, 107, 116 of Cr.P.C

Order Dt.06.10.2020

Today, accused persons were produced in the Court under Police Custody from P.S Maant along with Challan Report under Section 151, 107, 116 of Cr.P.C . Order under Section 111 of Cr.P.C was read over to them, who have denied the same. When questionnaire was held upon above accused persons, they have started quarrelling with each other. Above accused persons have not presented any bail bond, documents concerning bail in the Court. Therefore, order was passed that above accused persons be sent to District Jail, Mathura. Put up record for appearance on 19.10.2020.

(TRUE TRANSLATED COPY)

**General Diary Details**  
**सामान्य दैनिकी विवरण**

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): मांट

District (जिला): मथुरा

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 021

2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 06/10/2020 08:57 बजे

3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): प्रस्थान

4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): PS MANTH

5. Case Type (प्रकरण के प्रकार) : प्रौढ़

6. G.D. Brief (रोजनामचा संक्षिप्त):

रवानगी एसएचओ मय फोर्स मुल्जिम पेशी हेतु

मर्दाना हवालात से निकाल कर 04 नफर अभियुक्त जिन्दा व स्वस्थ अभियुक्त 1- अतिकुर्रहमान पुत्र रोनक अली निवासी नगला थाना रतनपुरी जिला मुजफ्फरनगर 2- आलम पुत्र लयीक पहलवान निवासी ग्राम घेरफतेर खान थाना कोतवाली जिला रामपुर (3)सिटीक पुत्र मोहम्मद निवासी चरौर थाना वैगरा जिला मालापुरम केरल (4) मसूद पुत्र सकील अहमद निवासी कस्बा -जरबल रोड थाना जरवल जिला वहराइच अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में एसएचओ भीम सिंह जावला मय उ0नि0 श्री जानेन्द सिंह सोलंकी मय उ0नि0 श्री दीपक दोहरे मय हमराही कर्मचारी गण हे0का0 450 सतीशचन्द व हे0का0 749 भूरी सिंह व हे0का0 888 महेशचन्द व का0 1721 महेन्द सिंह व का0 1088 रोहित कुमार व का0 2120 विनय राही व का0 1764 योगेश कुमार व तलविदा का0 1143 विवेक कुमार स्वयं लेकर व लेकर दीगर कागजात वास्ते करने पेश मा0 न्यायालय एसडीएम मांट/मथुरा रवाना हुआ। अन्दर मालग्रह से का0 1764 योगेश कुमार को दिलाकर एक-एक जरब इन्सास व 20-20 अदद कारतूस मय मैजीन दिलाकर ताला मालखाना बन्द ठीक सन्तरी को टिकराया गया। तथा अभियुक्तगणों की सीएचसी मांट/ जिला अस्पताल मथुरा से डाक्टरी व कोरोना चेक अप कराकर समय से मा0 न्यायालय में पेश करेंगे। चार्ज थाना अफसर मातहत किया गया। उ0नि0 श्री जानेन्द सिंह सोलंकी के पास एक जरब पिस्टल व 10 अदद कारतूसस वादस्तूर है।

7. Subject (विषय):

रवानगी एसएचओ मय फोर्स मुल्जिम पेशी हेतु

8. Acts &amp; Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
----------------	----------------	---------------------

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 07/10/2020

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): PS MANTH

Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): PS MANTH

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): 9454403944

**General Diary Details**  
**सामान्य दैनिकी विवरण**

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): मांट

District (जिला): मथुरा

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 054

2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 06/10/2020 20:46 बजे

3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): अन्य

4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): PS MANTH

5. Case Type (प्रकरण के प्रकार) : प्रौढ़

6. G.D. Brief (रोजनामचा संक्षिप्त):

तजकरा देने सूचना गिरफ्तारी अभियुक्तगण जरिये मो0 फोन दिनांक 05.10.2020 को टोल प्लाजा मांट पर एसएचओ श्री भीम सिंह जावला मय फोर्स द्वारा चैकिंग के दौरान गिरफ्तार किये गये अभियुक्त 1- अतिकुर्रहमान पुत्र रोनाक अली निवासी नगला थाना रतनपुरी जिला मुजफ्फरनगर 2- आलम पुत्र लयीक पहलवान निवासी ग्राम घेरफतेर खान थाना कोतवाली जिला रामपुर (3)सिदीक पुत्र मोहम्मद निवासी चरौर थाना वैगरा जिला मालापुरम केरल (4) मसूद पुत्र सकील अहमद निवासी कस्बा - जरबल रोड थाना जरबल जिला वहराड़घ की गिरफ्तारी की सूचना उपरोक्त अभियुक्तोद्वारा अपने परिजनो की मो0 नं0 देने के उपरान्त दिनांक 06.10.2020 समय 08.30 एएम पर अतिकुर्रहमान उपरोक्त को सूचना का0 2120 विनय राही के मो0 नं0 8218930540 से उसके भाई मतीन के मो0 नं0 9761648222 पर तथा अभियुक्त आलम उपरोक्त की सूचना का0 1143 विवेक कुमार के मो0 नं0 9548120228 उसकी पत्नी वुसरा के मो0 नं0 7011929760 पर तथा अभियुक्त सिदीक उपरोक्त की सूचना का0 2120 विनय राही के मो0 नं0 8218930540 से उसके भाई अमजा के मो0 नं0 7818965912 पर तथा अभियुक्त मसूद उपरोक्त की सूचना का0 2120 विनय राही के मो0 नं0 8218930540 से उसकी भाई मोनिष के मो0 नं0 9125235723 पर दी गयी। तजकरा देने गिरफ्तारी सूचना दर्ज किया गया।

7. Subject (विषय):

तजकरा देने सूचना गिरफ्तारी अभियुक्तगण जरिये मो0 फोन

8. Acts &amp; Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
----------------	----------------	---------------------

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 07/10/2020

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): PS MANTH

Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): PS MANTH

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): 9454403944

## FIRST INFORMATION REPORT

39

(Under Section 154 Cr.P.C)

1. District: Mathura P.S.: Mant Year:2020 FIR No. 0199  
Date & Time of FIR: 07.10.2020 Time: 06:13

2. S.No. Acts Sections

1.	IPC 1860	153-A
2.	IPC 1860	295-A
3.	IPC 1860	124-A
4.	Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 1967	17
5.	Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 1967	14
6.	Information Technology (Amendment) Act, 2008	65
7.	Information Technology (Amendment) Act, 2008	72
8.	Information Technology (Amendment) Act, 2008	76

3. Occurrence of offence:

a) Day: Monday Date From:05.10.2020 Date  
To:05.10.2020 Time Period: Pahar 6 Time From: 16:50  
Time To: 16:50

b) Information received at P.S.:

Date: 07.10.2020 Time: 06:13

c) General Diary Reference:

Entry No. :008 Date & Time: 07.10.2020, 06:13

4. Type of Information: Written

5. Place of Occurrence:

a) Direction and distance from P.S.: East, 04 Km Beat No.:

b) Address: Toll Plaza Mant

c) In case, outside the limit of this police Station, then:

Name of P.S.:

District (State):



## 6. Complainant/Informant:

- a) Name: Prabal Pratap Singh  
 b) Father's/Husband's Name:  
 c) Date/Year of Birth: 01.06.1968      d) Nationality: Indian

e) UID No.:

f) Passport No.:      Date of Issue:      Place of Issue:

g) ID details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving Licence, PAN)

SNo.:      ID Type:      ID Number:

h) Address:

S.No.	Address Type	Address
1.	Present Address	Police Station Mant, Uttar Pradesh, India
2.	Permanent Address	Jagsora, Jaswant Nagar, Etawa, Uttar Pradesh, India

i) Occupation:

j) Phone Number:      Mobile:

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars:

Accused More Than:

S.No.	Name	Alias	Relative's Name	Present Address
1.	Atikurrrahnam		Father's Name: Ronak Ali	Nagla, Ratanpuri Muzzafarnagar, Uttar Pradesh, India
2.	Alam		Father's Name: Laik	Gharfater Khan, Kotwali, Rampur, Uttar Pradesh, India
3.	Siddik		Father's Name: Mohammad	Charor, Malppuram, Keral, India
4.	Masood		Father's Name	Jarbal Road, Jarbal Road, Bahraich, Uttar Pradesh, India

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant:

9. Particulars of properties of interest:

S.No.	Property Category	Property Type	Description	Value (in Rs/-)
-------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

10. Total Value of property (in Rs/-):

11. Inquest Report/U.D. Case No., If Any;

S.No: UIDB Number:

12. First Information Contents:

Copy of report of complainant originally in Hindi, translated into English. Sir, it is to inform that when I have examined the evidences relating to 4 Nos. of accused persons produced vide Report No.41, Dt. 05.10.2020, Time: 20:52 Hours, P.S Maant namely (1) Atikurahman S/o. Raunak Ali R/o. Nagla, P.S Ratanpuri, District Muzaffarnagar (2) Alam S/o. Layeek Pahalwan R/o. Village Gherfater P.S Kotwali, District Rampur (3) Siddiquie S/o. Mohammad R/o. Charaur, P.S Vegra, District Mallapuram, Kerala (4) Masood S/o. Shakil Ahmad R/o. Kasba Jarbal Road, P.S Jarwal, District Bahraich under Section 151/107/116 of Cr.P.C and examined 6 Nos. of smartphone and 1 No. of Laptop - Welbestow P75F109 and Pamphlet (Justice for Hathras Victim) then I found that above persons were going to Hathras in order to breach peace and that a large conspiracy was behind them. It appears from media reports and news published through various mediums that some anti-social elements have been deliberately trying to create social hostility and caste-based tension and to affect communal harmony of the country in the cover of an

unfortunate incident that has occurred in Hathras. It has also become clear that they have been organizing programs with despicable attempt to create fear in society and flare up rioting on caste basis. These people are indulged in collecting donation in its cover. This fact has also come to light that the people who are running a website named "Carrd.com", are directly indulged in flaring up riots and breach of law and order, which is against social harmony. This fact has also come to light that these people are indulged in flaring up riots by affecting law and order and social harmony using donations received from foreign countries. This information has also been received that no valid procedure is being adopted in receiving such kind of donation amount and the medium through such donation amount is being received and this amount is worth confiscating. In this way, above website is using donations received from foreign countries in flaring up violence in the society. The pamphlets so-recovered i.e. "AM I NOT INDIAS DAUGHTER, MADE WITH Carrd etc. have an effect of amplifying social hostility and public revolt. On the basis of information so collected, this fact has also come to light that above website is being used to flare-up caste-based violence and rioting, collecting donations and spreading rumour regarding the so-called gang rape incident. The organizations and activists connected with above website are doing so in order to gather crowd, spread rumour, collect donation in the cover of providing justice. Anti-national sentiments are being inculcated in youths through such kind of websites. Many kinds of anti-national propaganda are being spread in India through such kind of websites viz. propaganda relating to incidents of

mob lynching, migration of labours in recent times extensive advertisement in support of separatists elements in Kashmir etc. The main objective of this website is to magnify caste-based hostility and to create unrest in the society and spread rioting on large scale. This website also explains the methods for spreading violence and how to receive support from people in support of violence and it also encourages common public in participating riots. Through aforesaid website, information that how identity of the person can be hidden during rioting, to participate in violence and how to breach peace and order. In addition, this website also provides ways how to come out easily from the area after breach of its law and order. It has also been found that above website has also deliberately presented many facts in twisted manner with an objective that it may create unrest in the society, to cause social disharmony and society may fall prey to violence. Above portal is completely indulged in acts contrary to the constitution of India and the rules established by law. In this way, the main objective of website- card.co and justice for Hathras is to collect donations from various persons and to use the money so received in conflagrating social hostility and caste-based violence. There aforesaid act is punishable under Section 153-A and 295-A of I.P.C. It is also found that the act committed by persons running aforesaid websites brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards the Government established by law, which lies within the scope of criminal act under the periphery of sedition. It has also been found that the acts committed by aforesaid websites is also constituting the offence U/s. 17 and

18 of UAPA. Besides this, persons connected with aforesaid websites have also committed offences punishable under Section 65, 72 and 75 of I.T Act. The points necessary to be investigated upon in-depth as regard to the persons operating aforesaid Internet websites are as follows:-(1). For which purpose aforesaid website/platform has been created and by whom. (2). How much money has been collected through aforesaid website/platform till this date. (3). Where the money so collected has been spent and in which accounts above money has been transferred. In this way, clearly, aforesaid Internet platform-carrd.co and justice for Hathras have prima-facie committed offences under various sections of I.P.C. and other Acts. Above 4 persons and unknown persons have been found to be involved in aforesaid criminal act. Investigation is necessary for detailed information regarding aforesaid acts. Therefore, kindly oblige to register F.I.R. for carrying out investigative proceedings. Prabal Pratap Singh, S.I. P.S Mant, Mathura. Note: I, the H.M. 680 Pritam Singh do hereby verify that aforesaid report was typed word by word.

13. Action Taken: Since the above information reveals commission of offence(s) U/s as mentioned at Item.

- 1) Registered the case and took up the investigation:
- 2) Directed (Name of I.O.): Bhim Singh Javla Rank: Inspector  
No: 852510030 to take up the Investigation.
- 3) Refused Investigation due to: or
- 4) Transferred to P.S. District on point of  
Jurisdiction.

FIR read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost. R.O.A.C.

14. Signature/Thumb Impression of the Complainant/ Informant.
15. Date and time of dispatch to the court:

**Signature of Officer in Charge,**  
Police Station  
Name: PS MANTH  
Rank: I (Inspector)  
No.: 9454403944

**General Diary Details**  
**सामान्य दैनिकी विवरण**

P.S. (थाना): मांट

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

District (जिला): मथुरा

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 016

2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 07/10/2020 09:41 बजे

3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): अन्य तजकरा बाबत तकनीकी त्रुटि के का

4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): PS MANTH

5. Case Type (प्रकरण के प्रकार): प्रौढ

6. G.D. Brief (रोजनामचा संक्षिप्त):  
तजकरा बाबत तकनीकी त्रुटि के कारण से धारा व अन्य अज्ञात अन्य अभियुक्त छूट जाने के सम्बन्ध में।  
थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 199/2020 में तकनीकी त्रुटि के कारण धारा 18 गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम अधि0 1967) ACT की जगह 14 गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम अधि0 1967) अंकित हो गया जबकि 18 गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम अधि0 1967) अंकित होनी चाहिये तथा धारा 75 IT ACT की जगह 76 IT ACT अंकित हो गया है जबकि धारा 75 IT ACT अंकित होनी चाहिये थी जो अंकित नहीं हो सका तथा अन्य अज्ञात अभियुक्तगण का विवरण टाइप नहीं हो सका है। अतः उक्त मु0अ0सं0 199/2020 धारा 153A/295A/124A भादवि व 17/18 गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम अधि0 1967) व 65/72/75 IT ACT बनाम 4 नफर नाम जद व अन्य अज्ञात अभियुक्तगणों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है जो कि मुकदमा कायमी व FIR कित्ता करते समय तकनीकी त्रुटि के कारण अंकित नहीं हो सका था। नकल रपट वास्ते विवेचना विवेचक को दी गयी। तजकरा तकनीकी त्रुटि अंकित किया गया।

7. Subject (विषय):

तजकरा बाबत तकनीकी त्रुटि के कारण से धारा व अन्य अज्ञात अन्य अभियुक्त छूट जाने के सम्बन्ध में।

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
----------------	----------------	---------------------

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 07/10/2020

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): PS MANTH

Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): PS MANTH

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): 9454403944

**General Diary Details**  
**सामान्य दैनिकी विवरण**

P.S. (थाना): मांट

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

District (जिला): मधुरा

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 008

2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 07/10/2020 06:13 बजे

3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): आपराधिक प्रकरण

4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): PS MANTH

5. Case Type (प्रकरण के प्रकार): प्रौढ़

6. G.D. Brief (रोजनामचा संक्षिप्त):

वापसी उ०नि० व दाखिला जांच रिपोर्ट व कायमी मु०अ०सं० 199/20 धारा 153 ए /295ए/124ए भादवि० व UAPA की धारा 17 व 18 व आई टी एक्ट की धारा 65/72/75

इस समय उ०नि० श्री प्रवल प्रताप सिंह मय हमराह का० 1151 अकित सिंह व का० 2912 राजीव कुमार मय गाड़ी सरकारी चालक का० 1924 विशाल कुमार रवाना शुदा रफता रफट रो० आम तारीखी इमरोजा से बाद देखरेख शान्ति व सुरक्षा व्यवस्था, जुर्म जरायम देखरेख, गस्त, चैकिंग संदिग्ध वाहन व व्यक्ति व जांच रफट नं० 41 समय 20.52 दिनांक 05.10.2020 पर दाखिल 4 नफर अभियुक्तगण की जांच से वापस थाना आकर एक किता जांच रिपोर्ट हिन्दी टाइप शुदा लाकर दाखिल की। दाखिला जांच रिपोर्ट के आधार पर कायमी मु०अ०सं० 199/20 धारा 153 ए /295ए/124ए भादवि० व UAPA की धारा 17 व 18 व आई टी एक्ट की धारा 65/72/75 बावत अभियुक्त गण 1- अतिकुर्रहमान पुत्र रोनाक अली निवासी नगला थाना रतनपुरी जिला मुजफ्फरनगर 2- आलम पुत्र लयीक पहलवान निवासी ग्राम घेरफतेर खान थाना कोतवाली जिला रामपुर (3)सिदीक पुत्र मोहम्मद निवासी चरौर थाना वैगरा जिला मालापुरम केरल (4) मसूद पुत्र सकील अहमद निवासी कस्बा -जरवल रोड थाना जरवल जिला बहराइच के द्वारा चन्दा एकत्रित कर वेबसाइट के माध्यम से साम्प्रदायिक एवं सद्भाव को प्रभावित करना एवं टंगा भडकाना व शान्ति व्यवस्था भंग करना तथा अपनी पहचान को छिपाना व जातिगत विद्वेष को बढ़ाना देना एवं समाज में अस्थिरता पैदा करना। दिनांक घटना:- 05.10.2020 समय:- 16.50, घटना स्थल:- टोल प्लाजा मांट, दिशा:- पूर्व, दूरी:- 04 किमी० सूचना कायमी रफट हाजा व वमूद्वैयत उ०नि० श्री प्रवल प्रताप सिंह बनाम अतिकुर्रहमान आदि 4 नफर अभियुक्तगण निवासीगण उपरोक्त के तफ्तीशी कायम व दर्ज किया गया। डेली जरायम इरसाल होगी। विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री भीम सिंह जावला करेगे। नकल चिक नकल रफट व अन्य दीगर फागजात प्रभारी निरीक्षक को दिये गये। सूचना जरिये आरटी सेट देने अफसरानवाला को डेल्टा को बताया गया। तकमीला सम्बन्धित रजिस्ट्रान में किया व कराया जा रहा है। जांच रिपोर्ट संलग्नक मूल एफआईआर की गयी। रवाना शुदा असलहा व कारतूस अन्दर मालगूह रखवा कर ताला माल खाना बन्द ठीक सन्तरी पहरा को दिखाया गया। पिस्टल व कारतूस पास उ०नि० है।

7. Subject (विषय):

वापसी उ०नि० व दाखिला जांच रिपोर्ट व कायमी मु०अ०सं० 199/20 धारा 153 ए /295ए/124ए भादवि० व UAPA की धार

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	153-A
2	भा दं सं 1860	295-A
3	भा दं सं 1860	124-A
4	गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, १९६७	17
5	गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, १९६७	14
6	सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008	65
7	सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008	72
8	सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008	76

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 07/10/2020

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): PS MANTH

Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): PS MANTH

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): 9454403944



**General Diary Details**  
**सामान्य दैनिकी विवरण**

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): मांट

District (जिला): मथुरा

G.D. No. (रोजनामचा सं.): 055

G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 07/10/2020 22:18 बजे

G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): अन्य तजकरा वावत ईमेल सूचना अभियुक्त

Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): PS MANTH

Case Type (प्रकरण के प्रकार): प्रौढ़

G.D. Brief (रोजनामचा संक्षिप्त):

तजकरा वावत ईमेल सूचना अभियुक्तगण गिरफ्तारी सम्बन्धित मु0अ0सं0 199/2020 धारा 153A/295A/124Aभादवि व 17/18 गैर कानूनी गतिविधि ( रोकथाम अधि0 1967) व 65/72/75 IT ACT

तारीखी इमरोजा में थाना हाजा मु0अ0सं0 199/2020 धारा 153A/295A/124Aभादवि व 17/18 गैर कानूनी गतिविधि ( रोकथाम अधि0

1967) व 65/72/75 IT ACT से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- अतिकुर्रहमान पुत्र रोनाक अली निवासी नगला थाना रतनपुरी जिला मुजफ्फरनगर

2- आलम पुत्र लयीक पहलवान निवासी ग्राम घेरफतेर खान थाना कोतवाली जिला रामपुर (3)सिदीक पुत्र मोहम्मद निवासी चरौर थाना वैगरा जिला

मालापुरम केरल (4) मसूद पुत्र सकील अहमद निवासी कस्बा -जरबल रोड थाना जरवल जिला वहराइच की गिरफ्तारी की सूचना द्वारा ई-मेल जनपद

रामपुर की ई-मेल आईडी (sprpr-up@nic.in ) व जनपद मुजफ्फरनगर की ई-मेल आईडी (sspzuf-up@nic.in) जनपद बेहराइच की ई-मेल

आईडी (spbrh-up@nic.in) व जनपद मालापुरम(केरल) की ई-मेल आईडी (spmpm.pol@kerala.gov.in) के माध्यम से दी गयी उपरोक्त ई-

मेल आईडी पर थाना हाजा से हस्व आदेशानुसार श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय के का01150अकित कुमार के द्वारा मेल किये गये तजकरा अकित

किया गये।

7. Subject (विषय):

तजकरा वावत ईमेल सूचना अभियुक्तगण गिरफ्तारी सम्बन्धित मु0अ0सं0 199/2020 धारा 153A/295A/124Aभादवि व 17

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
----------------	----------------	---------------------

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 08/10/2020

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): BHIM SINGH JAVLA

Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): PS MANTH

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): 9454403944

E-MAIL

TO: SUPERINTENDENT OF POLICE, DISTT.- MALAPPURAM, KERLA


FROM: SHO, PS-MANTH, DISTT. - MATHURA(U.P) [EMAIL- psmanth.mta.up@gmail.com]

No: MANTH/GENERAL/2020

Date:OCTOBER 06, 2020

KINDLY INFORM YOU THAT MRS. SIDHIQUE KAPPAN S/O LATE MRS. MOHAMMAD KUTTY KAPPAN R/O VILLAGE CHURUR POLICE STATION VENGARA DISTT. MALAPPURAM KERLA, WAS ARRESTED BY MATHURA POLICE WITH HIS TWO COMPAINIONS WHO ARE MEMBER OF CAMPUS FRONT OF INDIA, UNDER SECTION 151, 107, 116 CR.P.C ON DT-05.10.2020. SUB DIVISONAL MAGISTRATE OF MANTH DISTT. MATHURA SENT HIM DISTT. JAIL MATHURA IN JUDICIAL CUSTODY FOR 14 DAYS. MRS. AFTER FURTHER INVESTIGATION A CASE CRIME NO.199/2020 UNDER SECTION 153A, 295A, 124A IPC, SECTION 17, 18 UAPA 1967 AND SECTION 65, 72, 75 IT ACT 2008 REGISTERED AGAINST MRS. SIDHIQUE KAPPAN S/O LATE MRS. MOHAMMAD KUTTY KAPPAN R/O VILLAGE CHURUR POLICE STATION VENGARA DISTT. MALAPPURAM KERLA, AND 03 OTHERS AT POLICE STATION MANTH MATHURA. CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE MATHURA SENT HIM DISTT. JAIL MATHURA IN JUDICIAL CUSTODY.

IT IS REQUESTED TO INFORM HIS FAMILY MEMBERS.

  
SHO, 7/10/2020  
PS-MANTH श्रीमंसिंह जावला  
DISTT.-MATHURA(U.P.) श्री निरीक्षक  
थाना मठ, मथुरा

रिपोर्ट नामा गेट मयुरा

सेवा में

श्रीमान मुरम - गणेश बाबूस्टेड मेहाडप

जयपुर जिल्ला मयुरा


मेहाडप निवेदन है कि आरोप 100 (1) को 22 अक्टूबर 2020 को  
 रोमड अली निवासी जाला 13, रमनपुरी मुकदमा (2) अक्टूबर 2020 को  
 पहलवान निवासी बेट फतेहखान 13, फतेहखानी रामपुर (3) रिपोर्ट 510 में  
 हउमड निवासी चौरा 13, केरा जिला आलापुल केरल (4) अक्टूबर 2020 को  
 कदम निवासी कल्याणकर नामा जयपुर जिला कदम केरल को  
 अक्टूबर 2020 में 151, 107, 111 अक्टूबर में नामा है एक गैर 6/10/20  
 को नामा है मयुरा जिला मयुरा मयुरा में निकल है।  
 अक्टूबर 2020 में अक्टूबर के रिपोर्ट के रिपोर्ट के रिपोर्ट

7/10/20 को नामा जयपुर जिला 199/2020 नामा IS 3A 124A, 295  
 A के नामा 17/10 गेट मयुरा मयुरा जिला अक्टूबर के नामा 65, 72, 75  
 IT Act के नामा अक्टूबर 2020 अक्टूबर के रिपोर्ट के रिपोर्ट के रिपोर्ट  
 इनमें रिपोर्ट के रिपोर्ट के रिपोर्ट है।

अक्टूबर 2020 में अक्टूबर के रिपोर्ट के रिपोर्ट के रिपोर्ट के रिपोर्ट  
 अक्टूबर 2020 में अक्टूबर के रिपोर्ट के रिपोर्ट के रिपोर्ट के रिपोर्ट  
 की हज है

रिपोर्ट के रिपोर्ट के रिपोर्ट है

Accused - Atikur Rahman,  
 Adam, Siddiq & Masood  
 be summoned from 07/10/20  
 Deal as per law  
 7/10/20



540  
 7/10/2020  
 (अभि रिपोर्ट के रिपोर्ट)  
 15 अक्टूबर मयुरा

**न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा**

मु0अ0सं0-199/2020

धारा-153ए,295ए,24ए भा0द0सं0 व धारा-65,72,75 आई.टी. एक्ट व धारा-17,18 गैर  
कानूनी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम  
धाना मांट जनपद मथुरा

10.11.2020

प्रार्थनापत्र पेश हुआ।

श्री राकेश कुमार पालीवाल, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट, गीतमबुद्ध नगर द्वारा मु0अ0सं0-199/2020 धारा-153ए,295ए,24ए भा0द0सं0 व धारा-65,72,75 आई.टी. एक्ट व धारा-17,18 गैर कानूनी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम धाना मांट जिला मथुरा में इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त प्रकरण की विवेचना उनके द्वारा की जा रही है। उक्त अभियोग में न्यायालय द्वारा दिनांक-04.11.2020 से 48 घंटे पी.सी.आर. दिया गया था। दौरान पी.सी.आर. अभियुक्त सिद्धकी कम्पन को वर्तमान में हाल पता-8/19 डबल स्टोरी, हॉस्पिटल रोड, जंगपुर दिल्ली उसके बतायेनुसार किराये के मकान पर गये तो वहा पर ताला बंद था। सिद्धकी कम्पन के बतायेनुसार दूसरे व्यक्ति जो साथ में किराये पर रहता था असारूल हक पुत्र अब्दुल हक निवासी म0न0-7/4 विजान नगर, कोटा, राजस्थान हाल पता-8/19 डबल स्टोरी, हॉस्पिटल रोड, जंगपुरा को गौके से जरिये दूरभाष मकसद से अवगत कराया लेकिन न ही वो आया और न ही विवेचना में सहयोग किया। अभियुक्त सिद्धकी कम्पन के ताला लगे मकान में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित दस्तावेज व इलेक्ट्रोनिक सामान होने की पूर्ण सम्भावना है, जिससे विवेचना में काफी सहयोग मिलेगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में असारूल हक को धारा-91/160 द.प्र.स. के अन्तर्गत नाटिस भेजे जाने के बाद भी असारूल उपरोक्त अपने कथन अंकित कराने व जांच में सहायोग करने नहीं आया। ऐसे में असारूल द्वारा विवेचना से सम्बन्धित दस्तावेज नष्ट किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अभियुक्त सिद्धकी कम्पन हाल-8/19 डबल स्टोरी, हॉस्पिटल रोड, जंगपुरा, दिल्ली के मकान का तलाशी वारंट जारी किये जाने की याचना की गयी है।


विवेचक द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ असारूल हक पुत्र अब्दुल हक को प्रेषित नाटिस अन्तर्गत धारा-91/160 द.प्र.स. छाया प्रतिलिपि सलग्न किया है।

प्रार्थनापत्र विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अद्यसारित है।

सुना एव प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अतः धारा-93 द.प्र.स. के तहत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। सच वारण्ट की नियमानुसार अनुमति दी जाती है।

विवेचक दिनांक-11.11.2020 को सच वारण्ट का निष्पादन सुनिश्चित करे तथा गहन रात्रि में सच वारण्ट की कार्यवाही सम्पादित न की जाये।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
मथुरा

Copy for record to Dept. Secy of Police - S.I.F.  
Gautam Budh Singh for 10.11.2020 & compliance

amb  
10/11/20  
EM



IN THE COURT OF CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE, MATHURACrl. Case No.199/2020U/s. 153A, 295A, 24A of I.P.C and Section 65,72, 75 of I.T Act  
and Section 17, 18 of Prevention of Unlawful Activities Act, P.S  
Maant, District Mathura10.11.2020

Application was presented.

Sh. Rakesh Kumar Paliwal, Dy. S.P., S.T.F, Field Unit, Gautam Buddha Nagar has presented an application in connection with Crl. Case No.199/2020 U/s. 153A, 295A, 24A of I.P.C and Section 65,72, 75 of I.T Act and Section 17, 18 of Prevention of Unlawful Activities Act, P.S Maant, District Mathura that investigation of above case is being conducted by hm. In the above case, Police Remand for 48 Hours was granted by the Hon'ble Court on 04.11.2020. During the course of Police Remand, present address of accused Siddiqui Kappan being H. No. 8/19, Double Storey, Hospital Road, Jagpur, Delhi, as told by the accused was visited, where above house was found to be locked. Another person who used to stay with accused Siddiqui named Ansarul Hak S/o. Abdul Hak R/o. H. No. 7/4, Vigyan Nagar, Kota, Rajasthan, Presently at 8/19 Double Storey, Hospital Road, Jagpura was informed over telephone, but he has neither appeared not cooperated in the investigation. There is complete possibility of documents and electronic equipment concerning aforesaid case to be lying in above locked house of accused Siddiqui, which may be of good assistance in investigation. Despite of sending notice under

Section 91/160 of Cr.P.C to Ansarul Hak as regard to the above, he has not appeared to get his statement recorded, nor has he provided any cooperation in investigation. In this situation, possibility as to Ansarul Hak destroying evidence concerning investigation cannot be denied. Therefore, request was made to issue search warrant of present residence of accused Siddiqui Kappan being H. No. 8/19, Double Storey, Hospital Raod, Jangpura, Delhi.

Investigation Officer has attached photocopy of Notice sent to Ansarul Hak S/o. Abdul Hak under Section 91/160 of Cr.P.C.

Application is forwarded by Ld. Prosecution Officer.

Heard and perused documents.

Therefore, application under Section 91 of Cr.P.C is hereby allowed and search warrant is issued as per rules.

Investigation Officer shall ensure execution of search warrant on 11.11.2020 and proceeding for execution of search warrant be carried out during the dead of night.

Sd/-illegible

Chief Judicial Magistrate, Mathura

Copy forwarded to Dy. Superintendent of Police, S.T.F, Gautam Buddh Nagar for ... and compliance.

Sd/-illegible

10.11.20

(TRUE TRANSLATED COPY)

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा

मु0अ0सं0-199/2020

धारा-153ए,295ए,124ए भा0द0सं0 व धारा- 17/18 गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम  
एवं धारा-65,72,75 आई.टी. एक्ट  
थाना-मांट, जनपद मथुरा

04.11.2020

मु0अ0सं0-199/2020 धारा-153ए,295ए,124ए भा0द0सं0 व धारा- 17/18 गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम एवं धारा-65,72,75 आई.टी. एक्ट थाना-मांट जिला-मथुरा के प्रकरण में विवेचक श्री राकेश कुमार पालीवाल, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट गौतमबुद्ध नगर/ आगरा द्वारा विधि विरुद्ध किया-कलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा-43डी(2) के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि उक्त अभियोग वादी श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्तगण अतिकुर्ररहमान, आलम, सिदिक कप्पन एवं मसूद के विरुद्ध आरोप के साथ पंजीकृत कराया गया था। इस अभियोग की विवेचना उ0प्र0 शासन लखनऊ के आदेश से स्पेशल टास्क फोर्स को आवंटित होने पर उन्हें हस्तगत हुई। पूर्व विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा सं0-04 दिनांकित-08.10.2020 एवं केस डायरी के पर्चा सं0-17 दिनांकित-20.10.2020 किता करते हुए अभियुक्तगण अतिकुर्ररहमान, आलम, सिदीकी व मसूद के धारा-161 द.प्र.सं. के अन्तर्गत कथन अंकित किये गये, जिनमें अभियुक्तगण द्वारा पूर्व विवेचक को बताया कि वे बहुत से ज्ञात, अज्ञात स्रोत से धन इकट्ठा कर विभिन्न प्रिंट/इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से हाथरस काण्ड में जाति के आधार पर दंगा करवाना चाहते हैं, जैसा कि उनके द्वारा पूर्व में सी0ए0ए0 के विरोध में धर्म के आधार पर किया गया था। अभियुक्तगण द्वारा एक संगठन के माध्यम से इन्टरनेट पर वेबसाइट बनाकर समाज में जातिगत एवं साम्प्रदायिक वैमन्सय बढ़ाने एवं घटना की आड़ में जातिगत संघर्ष/दंगे फैलाने का आरोप भी है। जिसमें विभिन्न वेबसाइटों का प्रयोग किया गया है। जिसका अन्वेषण अभियुक्तगण से पूछताछ के आधार पर किया जाना है। साथ ही अभियुक्तगण का अन्तर प्रदेशीय सम्बन्ध है, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण से पूछताछ एवं सत्यापन कराया जाना एवं किसी प्रकार के षडयंत्र के किये जाने के सम्बन्ध में अन्वेषण किया जाना आवश्यक है। अभियुक्तगण से यह भी स्वीकार किया है कि वह पी.एफ.आई./ सी.एफ.आई. के सदस्य हैं एवं विवेचना के मध्य यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्तगण का प्रतिबंधित संगठन सिमी के पूर्व सदस्यों से सम्बन्ध है, जिसके सम्बन्ध में चारों अभियुक्तगण से पूछताछ कर साक्ष्य एकत्रित किया जाना अपेक्षित है। अतः अभियुक्तगण से उनके धन के स्रोतों के सम्बन्ध में पूछताछ कर विभिन्न बैंक एकाउण्ट/अन्य माध्यम से धन प्राप्त करने/एकत्र करने की साक्ष्य प्राप्त करने एवं अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयोग किये गये प्रिन्ट/इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से सम्बन्धित साक्ष्य का पुलिस अभिरक्षा के मध्य की गयी पूछताछ के आधार पर बरामद करने एवं अपुष्ट सूचनाओं से उनकी पुष्टि करने हेतु अभियुक्तगण अतिकुर्ररहमान, आलम, सिदीकी और मसूद का 10 दिवस का पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृत किये जाने की याचना की गयी है। विवेचक द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थनापत्र अभियोजन अधिकारी द्वारा अग्रसारित है।

विवेचक द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगण को जिला कारागार, मथुरा से द्वारा वी.सी. तलब किया गया। अभियुक्तगण आज जिला कारागार से जरिये वी.सी. डिप्टी जिलर की शिनाख्त पर न्यायालय समक्ष पेश किये गये। विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र की प्रति अभियुक्त सिदिक को जेल में प्राप्त करायी गयी तथा शेष अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को प्राप्त करायी गयी।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क दिया गया कि वर्तमान प्रकरण में अग्रिम विवेचना के क्रम में अभियुक्तगण द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में ज्ञात, अज्ञात स्रोत से धन इकट्ठा कर विभिन्न प्रिंट/इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से हाथरस काण्ड में जाति के आधार पर दंगा करवाने की योजना होने, उनके द्वारा पूर्व में सी0ए0ए0 के विरोध में धर्म के आधार पर दंगा करवाने, अभियुक्तगण द्वारा एक संगठन के माध्यम से इन्टरनेट पर वेबसाइट बनाकर समाज में जातिगत एवं साम्प्रदायिक वैमन्सय बढ़ाने एवं घटना की आड़ में जातिगत संघर्ष/दंगे



फैलाने, जिसमें विभिन्न वेबसाइटों का प्रयोग किये जाने, अभियुक्तगण का अन्तर प्रदेशीय सम्बन्ध होने, अभियुक्तगण द्वारा पी.एफ.आई./सी.एफ.आई. के सदस्य होना स्वीकार किये जाने एवं अभियुक्तगण का प्रतिबंधित संगठन सिमी के पूर्व सदस्यों से सम्बन्ध होने का कथन किया गया है। जिसके सम्बन्ध में चारों अभियुक्तगण से पूछताछ कर साक्ष्य एकत्रित किया जाना अपेक्षित है। उक्त आधार पर विवेचक द्वारा याचित अभियुक्तगण की पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृत किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि विवेचक द्वारा प्रार्थना पत्र सर्वथा अवैध, अनुचित, गलत मानसिकता से अभियुक्तगण के विरुद्ध गलत साक्ष्य की रचना करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा विवेचक को ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, विवेचक द्वारा गलत तरीके से बयान अपनी मर्जी से लिख लिये हैं। अभियुक्तगण को दिनांक-07.10.2020 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। धारा-167 द.प्र.सं. के अधीन प्रथम न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड 15 दिन का हो सकता है, उसके उपरांत विवेचक का पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है तथा इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त आधार पर विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

न्यायालय द्वारा विवेचक, विद्वान अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं सम्बन्धित पत्रावली/पुलिस प्रपत्र/केस डायरी आदि का अवलोकन किया।

विदित है कि उक्त प्रकरण में वादी मुकदमा प्रबल प्रताप सिंह थाना मांट जिला मथुरा द्वारा थाना मांट जिला मथुरा पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी थी कि अभियुक्तगण सामाजिक विद्वेष एवं जातिगत तनाव तथा देश के साम्प्रदायिक सदभाव को प्रभावित करते हुए जनपद हाथरस में हुई दुर्भाग्य पूर्ण घटना की आड़ में दंगा भडकाने का कुत्सित प्रयास किये जाने के आशय से शान्ति व्यवस्था भंग करने के लिये हाथरस जा रहे थे। अभियुक्तगण जातिगत आधार पर समाज में भय एवं दंगा भडकाने की नीयत से घटना एवं प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। यह लोग इसकी आड़ में चन्दा एकत्रित करने के प्रयास में लगे हैं। उक्त लोगों द्वारा carrd.co नामक वेबसाइट का संचालन कर रहे हैं। उक्त लोग विदेशों से अवैध माध्यम से प्राप्त चंदा से शान्ति व्यवस्था व सामाजिक समरस्ता को प्रभावित करते हुए दंगा भडकाने के कार्य में लिप्त हैं। उक्त लोगों से बरामद पम्पलेट AM I NOT INDIAS DAUGHTER MADE WITH Carrd आदि मुद्रित पम्पलेट सामाजिक वैमनस्यता बढ़ाने वाले एवं जन विद्रोह भडकाने वाले हैं। ज्ञात हुआ है कि उक्त वेबसाइट का उपयोग जातिगत हिंसा व दंगा भडकाने, चंदा एकत्रित करने एवं तथाकथित गैंगरेप की घटना की अफवाह फैलाने में किया जा रहा है तथा उक्त वेबसाइट के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रविरोधी भावनाओं को जागृत कर रहे हैं तथा भारत में राष्ट्रविरोधी दुष्प्रचार कर रहे हैं, जैसे मॉव लिचिंग, हाल में मजदूरों का पलायन तथा कश्मीर में विघटनकारी तत्वों के समर्थन में व्यापक प्रचार आदि प्रमुख हैं। वेबसाइट के माध्यम से शान्ति व्यवस्था भंग करने के उपायों की जानकारी दी जाती है। उक्त वेबसाइट के माध्यम से कई तथ्यों को जानबूझकर सफेद धोखा कर इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि जिससे समाज में अस्थिरता आये, सामाजिक सदभाव भंग हो तथा समाज हिंसा की वेपट में आ जाये। यह पोर्टल पूर्ण रूप से भारतीय संविधान एवं विधि द्वारा स्थापित नियमों के विपरीत कार्य में संलिप्त है। जिसके आधार पर थाना मांट जिला मथुरा में मु0अ0सं0-153ए,295ए,124ए भा0द0सं0 व धारा-17/18 गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम एवं धारा-65,72,75 आई.टी. एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्तगण अतिकुर्ररहमान, आलम, सिदीक व मसूद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

थाना मांट जिला मथुरा पुलिस द्वारा दिनांक-07.10.2020 को अभियुक्तगण अतिकुर्ररहमान, आलम, सिदीक कप्पन व मसूद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर दिनांक-20.10.2020 तक रिमाण्ड स्वीकृत कर धारा-167 द.प्र.सं. का वारण्ट बनाकर अभियुक्तगण को जिला कारागार मथुरा प्रेषित किया गया।

केस डायरी के पर्चा सं0-4 दिनांकित-08.10.2020 के अनुसार विवेचक द्वारा जिला कारागार मथुरा में अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा-161 द.प्र.सं. अंकित किये गये तथा





केस डायरी के पर्चा सं०-17 दिनांकित-20.10.2020 के अनुसार विवेचक द्वारा जिला कारागार मथुरा में अभियुक्तगण के मजीद बयान अंकित किये गये।

अभियुक्तगण द्वारा विवेचक को दिये गये बयानों में अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बहुत से ज्ञात, अज्ञात स्रोतों से धन इकट्ठा कर विभिन्न प्रिंट/इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से हाथरस काण्ड में जाति के आधार पर दंगा करवाने, जातिगत, सामाजिक विद्वेष फैलाने, हिंसा कराने, लोक सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने तथा लोग व्यवस्था बिगाड़ने की योजना होने, संगठन पी.एफ. आई. व सी.एफ.आई. के सदस्य होने, उनके द्वारा पूर्व में सी०ए०ए० के विरोध में धर्म के आधार पर दंगा व हिंसा फैलाने, अभियुक्तगण द्वारा एक संगठन के माध्यम से इन्टरनेट पर वेबसाइट बनाकर समाज में जातिगत एवं साम्प्रदायिक वैमन्सय बढ़ाने एवं घटना की आड़ में जातिगत संघर्ष/दंगे फैलाने का कथन किया गया है।

प्रकरण में जारी विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में विवेचक द्वारा अभियुक्तगण द्वारा दिये गये बयानों के आधार पर साक्ष्य एकत्रित किये जाने के अनुक्रम से अभियुक्तगण की पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

रिमाण्ड प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण का रिमाण्ड मु०अ०सं०-199/2020 धारा-153ए,295ए,124ए भा०द०सं० व धारा-17/18 गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम एवं धारा-65,72,75 आई.टी. एक्ट थाना मांट जिला मथुरा के अभियोग में दिनांक-07.10.2020 को स्वीकृत किया गया था। चूंकि अभियुक्तगण उपरोक्त का रिमाण्ड धारा-17/18 गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम में स्वीकृत हुआ था। इसलिये The Unlawful Activities (Prevention) Act 1967 के प्रावधान आकर्षित होंगे।

जहां तक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क रखा गया है कि The National Investigation Agency Act,2008 में The Unlawful Activities (Prevention) Act 1967 मर्ज कर दिया गया है तथा इस सम्बन्ध में विधि व्यवस्था विक्रमजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब (क्रिमिनल अपील सं०-667/2020 एस.एल.पी. क्रिमिनल नं०-2933/2020) दाखिल की गयी है तथा प्रश्नगत विधि व्यवस्था के पैरा सं०-20 व पैरा सं०-21 का उल्लेख किया गया है तथा प्रश्नगत विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है तथा केवल डेजिगनेटेड कोर्ट (Designated Court) को ही इसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अभियोजन पक्ष द्वारा तर्क करते हुए कहा गया कि उक्त न्यायालय ही प्रश्नगत मुकदमें की सुनवाई हेतु डेजिगनेटेड कोर्ट (Designated Court) है। चूंकि द०प्र०सं० की धारा-190 के तहत जिस न्यायालय को प्रसंज्ञान लेने का अधिकार प्राप्त है, वही न्यायालय डेजिगनेटेड कोर्ट (Designated Court) है। इसलिये विधि व्यवस्था विक्रमजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब (क्रिमिनल अपील सं०-667/2020 एस.एल.पी. क्रिमिनल नं०-2933/2020) का लाभ अभियुक्तगण को नहीं दिया जा सकता है।

अतः समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामला The Unlawful Activities (Prevention) Act 1967 के अधिनियम से ही अधिशासित होता है।

उक्त अधिनियम 1967 की धारा-43डी प्रावधान करती है कि:-


(1) संहिता या किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय हर अपराध संहिता की धारा-2 के खण्ड (ग) के अर्थान्तर्गत संज्ञेय अपराध होना माना जायेगा और "संज्ञेय मामले" का, जैसा कि उस खण्ड में परिभाषित है, तदनुसार अर्थान्वयन किया जायेगा।

(2) संहिता की धारा 167 इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध को अन्तर्ग्रस्त करने वाले मामलों के सम्बन्ध में ऐसे उपान्तरण के अध्याधीन लागू होगी कि उपधारा (2) में-

(क) "पन्द्रह दिनों" "नब्बे दिनों" और "साठ दिनों" के प्रति, जहां कहीं भी वे आते हैं, निर्देश का अर्थान्वयन क्रमशः "तीस दिनों" "साठ दिनों" और "नब्बे दिनों" के प्रति निर्देश के रूप में किया जायेगा; और

(ख) परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्-

परन्तुक यह कि यदि नब्बे दिनों की उक्त अवधि के भीतर अन्वेषण को पूरा करना सम्भव नहीं है, तो न्यायालय, यदि उसे अन्वेषण की प्रगति और नब्बे दिनों की उक्त अवधि के



बाद अभियुक्त के निरोध के लिए विनिर्दिष्ट कारणों को निर्दिष्ट करते हुए लोक अभियोजन की रिपोर्ट से समाधान है, उक्त अवधि का विस्तार एक सौ अस्सी दिनों तक कर सकेगा:

परन्तु यह भी कि यदि इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए, न्यायिक अभिरक्षा में रहने वाले किसी व्यक्ति की न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा के लिए अनुरोध करता है, तो वह ऐसा करने के लिए कारणों को अभिकथित करते हुए शपथपत्र दाखिल करेगा और ऐसी पुलिस अभिरक्षा का अनुरोध करने के लिए विलम्ब, यदि कोई हो, को भी स्पष्ट करेगा।

चूंकि अभियुक्तगण उपरोक्त की रिमाण्ड अर्न्तगत धारा-17/18 गैर कानूनी निवारण अधिनियम में भी स्वीकृत की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम की धारा-43डी उपधारा 2 के प्रावधान के तहत रिमाण्ड की अवधि 15 दिन के स्थान पर 30 दिन होगी।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जनरल लॉ पर विशेष अधिनियम प्रभावी होगा।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन/विवेचक की ओर से पी.सी.आर. लिये जाने हेतु प्रार्थनापत्र दिनांक-02.11.2020 को पेश किया गया, जबकि अभियुक्तगण उपरोक्त के रिमाण्ड के 30 दिन की अवधि दिनांक-06.11.2020 को समाप्त हो रही है। जिस विधिक तत्व को अभियोजन/विवेचक भली-भांति जानता है, ऐसी में अभियोजन/विवेचक को उक्त मुकदमा अपराध की विवेचना में सजग होना चाहिए।

उपरोक्तानुसार विवेचक को साक्ष्य संकलित करने हेतु अभियुक्तगण 1-अतिकुर्ररहमान पुत्र रौनक अली, 2- आलम पुत्र लईक, 3-सिदिक कम्पन पुत्र मौ0 कुट्टी एवं 4- मसूद पुत्र शकील को निम्न शर्तों के अधीन पुलिस अभिरक्षा में दिये जाने के पर्याप्त आधार हैं:-

- 1- अभियुक्तगण को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड दिनांक-04.11.2020 को सायं 05:00 बजे से प्रारम्भ होकर दिनांक-06.11.2020 को सायं 05.00 बजे तक स्वीकार की जाती है।
- 2- विवेचक जिला कारागार से अभियुक्तगण को प्राप्त करते समय एवं जिला कारागार में पुनः दाखिल करते समय अभियुक्तगण का चिकित्सीय परीक्षण करायेंगे।
- 3- विवेचक दौरान पुलिस अभिरक्षा अभियुक्तगण को किसी प्रकार शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करेंगे।
- 4- विवेचक कोविड-19 के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- 5- विवेचक अभियुक्तगण को जिला कारागार में दाखिल करने से पूर्व अभियुक्तगण का कोविड-19 के सम्बन्ध में चिकित्सीय परीक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 6- अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को आदेशित किया जाता है कि यदि अभियुक्तगण कोरोना पॉजिटिव पाये जाते हैं, तो उक्त अभियुक्तगण को विवेचक को पी.सी.आर. पर देने से पूर्व न्यायालय को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।
- 7- अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता यदि चाहें तो उचित दूरी पर रहकर रिमाण्ड कार्यवाही देख सकते हैं, लेकिन वे पुलिस कार्यवाही में किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

आदेश की प्रति सम्बन्धित विवेचक एवं अधीक्षक जिला कारागार, मथुरा को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये।

Copy forwarded to Investigating officer  
for N.A. and Compliance

0.0

name

04/11/2020

Anil Kapoor  
मुख्य न्यायिक अधिकारी  
मथुरा 4/11/20

IN THE COURT OF CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE, MATHURA

Crl. Case No.199/2020

U/s. 153A, 295A, 124A of I.P.C and Section 17/18 of Unlawful  
Activity Prevention Act and Section 65, 72, 75 of I.T Act,

P.S Maant, District Mathura

04.11.2020

In Crl. Case No.199/2020 U/s. 153A, 295A, 124A of I.P.C and Section 17/18 of Unlawful Activity Prevention Act and Section 65, 72, 75 of I.T Act, P.S Maant, District Mathura, the Investigation Officer Sh. Rakesh Kumar Paliwal, Dy. Superintendent of Police, S.T.F Field Unit, Gautam Buddha Nagar/Agra having presented an application under Section 43D (2) of Unlawful Activities Prevention Act,1967 has stated that above case was got registered by complainant Sh. Prabal Pratap Singh against accused persons namely Atikurrahman, Alam Siddiqui Kappan and Masood along with allegations. Investigation of aforesaid case was handed over to him upon being allotted to the Special Task Force by an order of Government of Uttar Pradesh. Former investigating Officer while preparing CD No. for dated 8.10.2020 and CD No. 17 dated 20.10.2020, has recorded statement of accused persons namely Atikurrahman, Alam, Siddiqui and Masood U/s. 161 of Cr.P.C., in which accused persons have revealed over to the former investigating Officer that they having gathered funds from various known, unknown sources wants to instigate rioting on the basis of caste in connection with Hathras case through print/electronic medium, as they have done on the basis of religion in protest of C.A.A. There are also allegations against

accused persons of spreading caste-based and community-based hatred in the society by making a website in the Internet through an organization and to instigate caste-based struggle/rioting in the cover of incident, in which various websites have been used, investigation whereof is to be conducted on the basis of interrogation upon accused persons. In addition, accused persons also have inter-state relationship, in respect of which interrogation is to be held upon accused persons and verification is to be done and it is necessary to conduct investigation as regard to plotting of any kind of conspiracy. Accused persons have admitted that they are members of P.F.I/C.F.I and this fact has also come to light from investigation that accused persons have relationship with the former members of banned SIMI organization, in respect of which interrogation is to be held upon above 4 accused persons and evidence is to be collected. Therefore, prayer was made to grant 10 days Police Remand of accused persons namely Atikurrahman, Alam, Siddiqui and Masood so that evidence may be gathered as to receiving slacked collecting funds through various bank accounts/other mediums by holding interrogation upon accused persons and evidences concerning print/electronic medium used by accused persons pursuant to aforesaid objective on the basis of interrogation held upon them during Police custody and verification of unconfirmed information from them. Investigating Officer has also presented affidavit in support of above application.

Above application is forwarded by Prosecution Officer.

**60**

Accused persons were summoned from District Jail, Mathura through V.C on above application. Today, accused persons have been presented before the Court through V.C on the identification of Dy. Jailer. The copy of application presented by investigating Officer was supplied to accused Siddiqui in the Jail and the copy of above application were also supplied to Ld. Counsel for remaining accused persons.

Ld. Prosecution Officer has contended that in the statements given by accused persons to the Investigating Officer during further investigation of this case, they have admitted about plotting conspiracy as to instigating rioting on the basis of caste in connection with Hathras case through various print/electronic medium by collecting funds from known, unknown sources, instigating riots in the past on the basis of religion in protest of C.A.A, spreading caste-based and religion-based hostility in the society by making website on Internet through an organization and using various websites in instigating caste-based struggle/rioting in the cover of incident, admission as to having inter-State relationship, being members of P.F.I/C.F.I and having relationship with former members of banned organization SIMI, in respect of which, interrogation is to be held upon above 4 accused persons and evidences are to be gathered. On aforesaid basis, investigating Officer has requested to allow Police remand of accused persons.

Ld. Counsel for accused persons while opposing aforesaid application have raised objection that above application has been

presented by Investigating Officer under absolutely illegal, inappropriate and wrong mentality in order to fabricate wrong evidence against accused persons. Accused persons have not given any such statement to the Investigating Officer. Investigating Officer has written down the statements of accused persons by his own. Accused persons having arrested by the Police on 7.10.2020 have been sent to Jail. 1<sup>st</sup> judicial custody/remand U/s. 167 of Cr.P.C. may be for 15 days and thereafter the right of investigating Officer regarding Police custody/remand automatically lapses and this Court does not have jurisdiction to hear this application. On the basis of aforesaid facts, request was made to reject present application.

Investigating Officer, Ld. Prosecution Officer and Ld. Counsel for accused persons were heard and concerned record/Police documents/case diary etc were perused.

It is clear that in the aforesaid case, complainant Prabal Pratap Singh, P.S Maant, District Mathura has got registered F.I.R. at P.S. Mant, District Mathura of this connotation that accused persons were going to Hathras with an intention to breach law and order while trying to instigate rioting in the cover of unfortunate incident that has happened in District Hathras while spreading social enmity, caste-based tension and affecting communal harmony of the country. Accused persons have been holding protests with an intention to spread fear in the society and instigate rioting. These persons are trying to collect donation in its cover. Above persons are operating in website called card.co. Above persons are involved in the activity of instigating

riots while affecting law and order and social harmony from the fund received illegally from foreign countries. Pamphlets recovered from above persons i.e. AM I NOT INDIAS DAUGHTER MADE WITH Carrd etc. has the effect of spreading social enmity and instigating public revolt. It has appeared that above website is being used to spread caste-based violence and instigating rioting, collecting fund and spreading rumour of the so-called incident of gang rape and accused persons are instigating antinational sentiments among youths through aforesaid website and are spreading antinational propaganda, chiefly including incidents such as mob lynching, migration of labours recently and extensive advertisement in support of separatist elements in Kashmir etc. Information regarding ideas for committing breach of law and order is provided through above website. Many facts have been presented in twisted manner through aforesaid website in deliberate manner so that it may cause social instability and social harmony may be breached and society may fall prey to social violence. Above portal is involved in activities are contrary to rules and laws established by constitution of India, on which basis it criminal case U/s. 153-A, 295-A, 124-A of I.P.C. and Section 17/18 of Unlawful Activity Prevention Act and Section 65, 72, 75 of I.T Act was got registered at P.S. Mant, District Mathura against accused persons namely Atikurrahman, Alam, Siddiqui and Masood.

The Police personnel from P.S. Mant, District Mathura having arrested accused persons namely Atikurrahman, Alam, Siddiqui Kappan and Masood on 7.10.2020, have produced them before the Court. Accused persons were taken under judicial

custody and while allowing their remand on 20.10.2020, they have been sent to District Jail, Mathura by making warrant under Section 16 to 7 of Cr.P.C.

According to CD No. 4 dated 8.10.2020, investigating Officer has recorded statement of accused persons in District Jail, Mathura under Section 161 of Cr.P.C. and according to CD No. 17 dated 20.10.2020, investigating Officer has recorded Majid Bayan of accused persons in District Jail, Mathura.

Accused persons have confessed their guilt in the statements given to the investigating Officer and admitted about plotting conspiracy for gathering fund through various known, unknown sources and instigating caste-based rioting in connection with Hathras case through various print/electronic mediums, spreading social enmity, violence, causing damage to public property and breach of law and order, being members of P.F.I and C.F.I, instigating rioting and violence in the past on the basis of religion in protest of C.A.A, spreading caste-based and religion-based invitee in the society by making website on Internet through an organization and instigating caste-based struggle/rioting in the cover of incident.

As regard to investigative proceedings being carried out in the case, investigating Officer has requested to grant Police custody/remand of accused persons for the purpose of gathering evidence on the basis of statements given by accused persons.

It is clear from the perusal of remand papers that remand of accused persons was granted in connection with criminal case No.1 99/2020 U/s. 153-A, 295-A, 124-A of I.P.C.



and Section 17/18 of Unlawful Activities Prevention Act and Section 65, 72, 75 of I.T act, P.S. Mant, District Mathura. Since, above remand of accused persons was granted under Section 17/18 of Unlawful Activities Prevention Act, therefore, provisions of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 would be attracted.

As far as this contention of Ld. accused persons is concerned that the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 has been merged with the National Investigation Agency Act, 2008 and in this regard judicial and stance-Vikramjit Singh versus State of Punjab (Criminal Appeal No. 667/2020, SLP criminal No. 2933/2020 has been filed and while referring to Para 20 and 21 of the judicial instance in question, it has been contended that this Court does not have jurisdiction to hear this application and only designated Court has jurisdiction to hear this application.

The prosecution side has contended that this Court is only the designated Court to hear the case in question, since, the Court which has jurisdiction to take cognizance is designated Court, therefore, benefit of judicial instance-Vikramjit Singh Versus State of Punjab (Criminal Appeal No. 667/2020 SLP criminal No. 2933/2020) cannot be provided to the accused persons.

Therefore, it is clear from above entire facts that the case in question is governed only by the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

Section 43 D of above Act provides that:-

- (1). Notwithstanding anything contained in the Code or any other law, every offence punishable under this Act shall be

deemed to be a cognizable offence within the meaning of clause (c) of section 2 of the Code, and “cognizable case” as defined in that clause shall be construed accordingly.

- (2) Section 167 of the Code shall apply in relation to a case involving an offence punishable under this Act subject to the modification that in sub-section (2),—
- (a) the references to “fifteen days”, “ninety days” and “sixty days”, wherever they occur, shall be construed as references to “thirty days”, “ninety days” and “ninety days” respectively; and
- (b) after the proviso, the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided further that if it is not possible to complete the investigation within the said period of ninety days, the Court may if it is satisfied with the report of the Public Prosecutor indicating the progress of the investigation and the specific reasons for the detention of the accused beyond the said period of ninety days, extend the said period up to one hundred and eighty days:

Provided also that if the police officer making the investigation under this Act, requests, for the purposes of investigation, for police custody from judicial custody of any person in judicial custody, he shall file an affidavit stating the reasons for doing so and shall also explain the delay, if any, for requesting such police custody.”

Since, remand of accused persons has already been granted under Section 17/18 of Unlawful Activities (Prevention) Act, in this situation, under sub-Section 2 of Section 43D of above Act shall be 30 days in place of 15 days.

It is also explained here that the special act shall be effective upon general law.

It is also pertinent to mention here that application dated 2.11.2020 has been presented on behalf of prosecution /investigating Officer for receiving P.C.R, whereas, 30 days remand period of above accused persons is going to lapse on 6.11.2020, illegal fact which prosecution/investigating Officer is clearly aware of in this situation, prosecution/investigating Officer should be alert in the investigation into aforesaid case.

According to the findings recorded above, sufficient evidences available to grant Police custody remand of accused persons namely (1). Atikurrahman S/o.Raunak Ali (2) Alam S/o. Layeek (3) Siddiqui Kappan S/o. Md. Kutti and (4) Masood S/o. Shakil in favour of Investigating Officer, subject to following terms and conditions:-

1. Police custody remand of accused persons is granted from 5 PM on 4.11.2020 up to 5:00 PM on 06.11.2020.
2. Investigating Officer shall get conducted medical examination of the accused persons at the time of receiving accused persons from District Jail and also at the time of admitting them in the District Jail.

3. Investigating Officer shall not subject accused persons to physical and mental harassment of any kind during Police custody.
4. Investigating Officer shall ensure complying with the directions given as regard to Covid-19.
5. Investigating Officer shall ensure conducting medical examination of accused persons as regard to Covid-19 prior to admitting them in District Jail.
6. Superintendent, District Jail, Mathura is hereby ordered that if accused persons are found to be Corona positive then to provide its information to the Court prior to handing over accused persons to the investigating Officer on PCR.
7. If Ld. Counsel for accused persons wishes, they may see remand proceeding while maintaining appropriate distance, but they shall not interfere with Police Proceeding in any manner.

A copy of this order be sent to the concerned Investigating Officer and Superintendent, District Jail, Mathura for compliance.

Sd/-illegible

Chief Judicial Magistrate, Mathura

Copy forwarded to investigating Officer for N.A and compliance.


Sd/-illegible

04.4.2020

(TRUE TRANSLATED COPY)

ANNEXURE A-3

68

<u>20BA</u> 19-11-2020	19-11-2020	19-11-2020	 <u>19/11/2020</u>



20BA  
19-11-2020

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष सं०-11, मथुरा।

जमानत प्रार्थनापत्र सं०- 2865/2020

C.N.R. NO.- UPMT 01/007801/20

मसूद पुत्र शकील, उम्र 28 वर्ष, निवासी- जरबल, थाना- जरबल रोड, जिला-  
बहराइच, उ०प्र०

-----आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० सरकार द्वारा डी०जी०सी० (क्रिमिनल) मथुरा, उ०प्र०

-----विपक्षी

मुकदमा अ० सं०- 199/2020

धारा- 153A, 295A, 124A भा०दं०सं० व  
धारा 17, 18 गैर कानूनी गतिविधि(रोकथाम)  
अधिनियम व धारा 65, 72, 75 आई.टी.एक्ट  
थाना- मांट, जिला- मथुरा।

**दिनांक-13.11.2020**

अभियुक्त मसूद द्वारा मुकदमा अ० सं० - 199/2020 धारा-  
153A, 295A, 124A भा०दं०सं० व धारा 17, 18 गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम)  
अधिनियम व धारा 65, 72, 75 आई.टी.एक्ट थाना- मांट, जिला- मथुरा के प्रकरण में  
प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक 05.10.2020 समय 20.52 बजे रपट संख्या 41 थाना मांट के द्वारा  
दाखिल 4 नफर अभियुक्त 1- अतिकुर्ररहमान पुत्र रोनाक अली, निवासी नगला थाना  
रतनुपरी जिला मुजफ्फरनगर, 2- आलम पुत्र लयीक पहलवान, निवासी ग्राम घेरफतेर  
खान थाना कोतवाली जिला रामपुर, 3- सिदीक पुत्र मोहम्मद निवासी चरौर थाना वैगरा  
जिला मालापुरम, केरल, 4- मसूद पुत्र सकील अहमद, निवासी कस्बा जरबल रोड  
थाना जरबल जिला बहराइच अन्तर्गत धारा 151/107/116 सी०आर०पी०सी० एवं  
दाखिल 6 अदद स्मार्टफोन व एक अदद लैपटाप वेलबेस्टो P75F109 व पम्पलेट  
(जस्टिस फार हाथरस विक्टिम) से सम्बन्धित साक्ष्य की जांच वादी मुकदमा द्वारा की  
गयी, तो पाया गया कि उक्त व्यक्ति शान्ति भंग करने के लिये हाथरस जा रहे थे कि उनके  
पीछे एक बड़ी साजिश थी। कतिपय मीडिया रिपोर्टों में हाल में विभिन्न माध्यमों से  
प्रकाशित शबरों के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा  
जानबूझकर सामाजिक विद्वेष एवं जातिगत तनाव तथा देश के साम्प्रदायिक सद्भाव को  
प्रभावित करते हुये प्रदेश में अभी हाल में ही हुये जनपद हाथरस की एक दुर्भाग्यपूर्ण  
घटना की आड़ में दंगा भडकाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। यह भी स्पष्ट हुआ  
है कि कुछ लोग जातिगत आधार पर समाज में भय एवं दंगा भडकाने की नीयत से घटना  
एवं प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। यह लोग इसकी आड़ में चन्दा एकत्रित करने के प्रयास  
में लगे हैं, यह भी ज्ञात हुआ है कि जो लोग Carrd.co नामक वेबसाइट का संचालन कर  
रहे हैं। यह लोग सीधे तौर पर दंगा भडकाने एवं शांति व्यवस्था को भंग करने वाले कृत्य  
तथा ऐसे कार्यों में जो सामाजिक सद्भाव के खिलाफ है, उनमें संलिप्त हैं। यह भी ज्ञात  
हुआ है कि विदेशों से चन्दा से शांति व्यवस्था एवं सामाजिक समरस्ता को प्रभावित करते  
हुये दंगा भडकाने के कार्य में लिप्त हैं। जानकारी मिली है कि इस प्रकार चन्दे की धनराशि  
तथा जिस माध्यम से प्राप्त की जा रही है, उसकी कोई वैध प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही  
है और यह धनराशि जब्त करने योग्य है। इस प्रकार से उक्त वेबसाइट द्वारा विदेशों से  
प्राप्त चन्दे का उपयोग समाज में हिंसा भडकाने के प्रयोग में किया जा रहा है। बरामद  
पम्पलेट, AM I NOT INDIA'S DAUGHTER, MADE WITH Carrd आदि मुद्रित पम्पलेट  
सामाजिक वैमनस्यता बढ़ाने वाले एवं जन विद्रोह भडकाने वाले है। संकलित सूचना के  
आधार पर यह भी ज्ञात हुआ है कि इस वेबसाइट का उपयोग जातिगत हिंसा व दंगा

*For*



भडकाने, चंदा एकत्र करने एवं तथाकथित गैंगरेप की घटना की अफवाह फैलाने में किया जा रहा है। इस वेबसाइट से जुड़े संगठनों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा भीड़ एकत्र करने, अफवाह फैलाने एवं चंदा एकत्र करने का कार्य न्याय दिलाने की आड़ में किया जा रहा है। इस प्रकार की वेबसाइट युवाओं में राष्ट्रविरोधी भावनाओं को जागृत कर रहे हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के राष्ट्रविरोधी दुष्प्रचार भारत में किये जा रहे हैं। जैसे मांब लिंग की घटना का दुष्प्रचार, हाल में मजदूरों का पलायन तथा कश्मीर में विघटनकारी तत्वों के समर्थन में व्यापक प्रचार इत्यादि प्रमुख हैं। इस वेबसाइट का मूल उद्देश्य जातिगत विद्वेष को बढ़ावा दिया जाना एवं समाज में अस्थिरता पैदा करना तथा बड़े पैमाने पर दंगे फैलाना पाया गया है। यह वेबसाइट हिंसा फैलाने के तरीके बताती है तथा हिंसा के समर्थन में लोगों का समर्थन हासिल करने एवं जनता को दंगे के लिये प्रेरित करती है। इस वेबसाइट के माध्यम से दंगे के दौरान अपनी पहचान छुपाने के, हिंसा करने व शान्ति व्यवस्था भंग करने के उपायों की जानकारी दी जाती है। इसके साथ साथ यह वेबसाइट किसी भी क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के बाद तथा उस क्षेत्र की शान्ति व्यवस्था भंग करने के बाद वहां से आसानी से निकल जाने के तरीकों की जानकारी भी प्रदान करती है। यह भी पाया गया है कि इस वेबसाइट द्वारा कई तथ्यों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि जिससे समाज में अस्थिरता आये। सामाजिक सद्भाव भंग हो तथा समाज हिंसा की चपेट में आ जाये। यह पोर्टल पूर्ण रूप से भारतीय संविधान एवं विधि द्वारा स्थापित नियमों के विपरीत कार्य में संलिप्त है। इस प्रकार से वेबसाइट carrd.co एवं वेबसाइट justice for hathras का मुख्य उद्देश्य विभिन्न लोगों से चंदा प्राप्त करना एवं प्राप्त धनराशि का उपयोग सामाजिक विद्वेष एवं जातिगत हिंसा में बढ़ावा देने के लिये किया जाना पाया जा रहा है। इनका यह कृत्य भारतीय दण्ड विधान की धारा 153 ए तथा 295 ए की परिधि में आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। यह भी पाया गया है कि इन वेबसाइट को संचालित करने वाले व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाला कृत्य भारतीय दण्ड विधान की धारा 124 ए भादवि० के अन्तर्गत विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा पैदा करने वाला है, जो कि राजद्रोह की परिधि में आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। यह भी पाया गया है कि इन वेबसाइट की कृत्यों से UAPA की धारा 17 एवं 18 का भी अपराध सृजित हो रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त वेबसाइट से जुड़े व्यक्तियों द्वारा आई टी एक्ट की धारा 65, 72 एवं 75 का अपराध कारित किया गया है। उपरोक्त इण्टरनेट वेबसाइटों को संचालित करने वाले व्यक्तियों के विषय में विस्तृत एवं गहन जांच करने की आवश्यकता निम्न बिन्दुओं पर है। 1- उक्त वेबसाइट/प्लेटफॉर्म किसके द्वारा किस उद्देश्य से बनाया गया है। 2- अब तक इस वेबसाइट/प्लेटफॉर्म से कितनी धनराशि एकत्र की गयी है। 3- जो धनराशि एकत्र की गयी है, उसे कहां इस्तेमाल किया गया है, किन लाभार्थियों के खाते में उक्त धनराशि भेजी गयी है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से उक्त इण्टरनेट प्लेटफॉर्म carrd.co तथा संचालित वेबसाइट justice for hathras द्वारा प्रथम दृष्टया भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं एवं अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत अपराध कारित किया गया है। इस आपराधिक कृत्य में उक्त चारों व्यक्तियों एवं अन्य अज्ञात लोगों का सम्मिलित होना पाया जा रहा है। इनकी कृत्यों की विस्तृत जानकारी हेतु विवेचना की आवश्यकता है। अतः विवेचनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की याचना की गयी।

उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण अतिकुर्ररहमान, आलम, सिदीक व मसूद के विरुद्ध मु०अ०सं० 199/2020 अंतर्गत धारा 153A, 295A, 124A भा०द०सं० व धारा 17, 18 गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम व धारा 65, 72, 75 आई.टी.एक्ट थाना- मांट जिला- मथुरा पर पंजीकृत हुआ।





अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में उक्त प्रकरण में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है। उक्त जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में मो० मोनीस खान द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में संक्षेप में इस आशय का कथन किया गया है कि शपथकर्ता प्रार्थी/अभियुक्त का भाई है, जो कि प्रकरण के समस्त तथ्यों से वाकिफ है। अभियुक्त उक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। यह अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। उक्त प्रार्थनापत्र के अतिरिक्त सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान प्रकरण के तथ्य उनके समान हैं, जिन तथ्यों का संज्ञान माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिया जा चुका है। जनपद हाथरस में एक 19 वर्षीय दलित महिला का सवर्णों द्वारा सामूहिक बलात्कार किए जाने के सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित हुआ था, जिससे भारत की करीब 8 करोड़ महिलाओं द्वारा लगातार यौन शोषण सहने पर पुनः प्रकाश पड़ा। जयश्री मंगूभाई नाम की शोधकर्ता द्वारा लिखा गया है कि गरीब, निचली जाति तथा महिला होने के कारण वह हिंसा की शिकार है तथा सभी के द्वारा उन्हें निम्न रूप से देखा जाता है, उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। वे शक्तिहीन हैं जिस कारण उन्हें यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। जनपद हाथरस में महिला से सवर्णों द्वारा किए गए कथित बलात्कार तथा उसकी हत्या के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकरण में पुलिस द्वारा कोई रुचि नहीं ली गई, जैसे कि उनके द्वारा किसी दलित महिला के विरुद्ध हुई हिंसा के सम्बन्ध में भी किया जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से पंजीकृत की जाती है, दोषपूर्ण विवेचना की जाती है, बलात्कार होने पर उच्चाधिकारियों द्वारा संदेह प्रकट किया जाता है तथा ऐसा भी कथन किया जाता है कि उक्त घटनाओं का कोई जातिगत आधार नहीं है। कुछ समाचार चैनलों द्वारा भी ऐसी यौन हिंसा को किसी जाति विशेष के साथ जोड़े जाने पर सवाल उठाए जाते हैं। धारा 144 दं०प्र०सं० के अंतर्गत आदेश पारित कर विद्यार्थियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व समाज के लोगों को सार्वजनिक प्रदर्शन कर विरोध करने से रोका जाता है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का अधिकार भी सीमित कर दिया जाता है। यू.ए.पी.ए. 1967 जोकि सरकार को किसी भी संस्था को प्रतिबंधित करने का असीमित अधिकार प्रदान करती है, का प्रयोग कर गिरफ्तारियां की जाती हैं। सरकार के अनुसार यू.ए.पी.ए. आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए आवश्यक है, परन्तु सरकार द्वारा इसका दुरुपयोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध भी लगातार किया जाता रहा है। अभियुक्त को सह-अभियुक्तगण के साथ दिनांक 05.10.2020 को अपराह्न 04:50 पर अभिरक्षा में लिया गया था, परन्तु प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन विलंब से दिनांक 07.10.2020 को प्रातः 06:13 बजे थाना मांट पर दर्ज कराई गई है, जो घटनास्थल से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 199/2020 अंतर्गत धारा 153A, 295A, 124A भा०दं०सं० व धारा 17, 18 गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम व धारा 65, 72, 75 आई.टी.एक्ट थाना- मांट जिला- मथुरा पर पंजीकृत हुआ। अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त सह-अभियुक्तगण के साथ दिनांक 05.10.2020 को यात्रा कर रहा था, तो उस समय रात्रि 8:52 बजे अभियुक्त का चालान अंतर्गत धारा 151/107/116 दं०प्र०सं० किया गया तथा उनके कब्जे से 6 स्मार्टफोन व एक लैपटॉप दिखाया गया। पम्पलेट, जिस पर Justice for Hathras Victim लिखा था, को शांति व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बताया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी समाचार के अनुसार आक्षेप लगाए गए हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार एक सामान्य विरोध प्रदर्शन को आतंकवादी कृत्य के रूप में बिना किसी समर्थनकारी साक्ष्य के अभाव में दिखाने का प्रयास किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित वेबसाइट Carrd.co में संदर्भित "AM I NOT INDIAS DAUGHTER" मात्र हाथरस में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से सम्बन्धित थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय तैयार गिरफ्तारी मीमो में उसकी ओर से

4  
fauz



किसी गवाह का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही उसके कब्जे से प्राप्त किसी नगद धनराशि या किसी संदेहास्पद वस्तु को जब्त किए जाने का उल्लेख किया गया है। दिनांक 06.10.2020 को अभियुक्त को चिकित्सीय परीक्षण के लिए जाया गया, जिसमें उसके शरीर पर कोई चोट उल्लिखित नहीं की गई है। अभियुक्त एक छात्र है तथा वह पुलिस अधिकारियों के रवैये से बुरी तरह डरा हुआ है। अभियुक्त का दोबारा चिकित्सीय परीक्षण 06.10.2020 को प्रातः 09:10 बजे कराया गया, जिसमें उसके माथे पर काले तिल को उसके पहचान चिन्ह के रूप में अंकित किया गया। सम्बन्धित विवेचनाधिकारी द्वारा दिनांक 06.10.2020 को चालानी रिपोर्ट अंतर्गत धारा 151 तैयार की गई तथा उसमें भी अभियुक्त के विरुद्ध राष्ट्रविरोधी या किसी आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में कोई आक्षेप नहीं लगाया गया। जी.डी. में संदर्भित घटना को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर वर्णित किया गया है। जनता द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को संवेदनशील दृष्टि से भी देखा जा सकता है। अभियुक्त को मात्र पब्लिक न्यूसेंस के आधार पर गिरफ्तार किया गया था तथा उनकी गिरफ्तारी के समय उनके विरुद्ध कोई राष्ट्रविरोधी व आतंकवादी गतिविधि के सम्बन्ध में कोई आक्षेप नहीं लगाया गया था। अभियुक्त के कब्जे से बरामद पम्पलेट पर कोई भी राष्ट्र विरोधी वक्तव्य नहीं था तथा वह मात्र हाथरस की पीड़िता के सम्बन्ध में मार्मिक अपील थी। अभियुक्त द्वारा वर्ष 2007 में हाईस्कूल, वर्ष 2009 में इण्टरमीडिएट की परीक्षा पास की गई है तथा वर्तमान में अभियुक्त एम.ए. (पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) का छात्र है, जिसमें उसके द्वारा उल्लिखित विषयों में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए गए हैं। उसके द्वारा जिन विषयों का अध्ययन किया गया है, उनमें सुशासन की भूमिका आदि है। माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में यह स्वीकार किया गया है कि गैरकानूनी गतिविधियों के आधार पर जमानत आवेदन को निरस्त किया जाना आतंकवादी गतिविधियों से भिन्न है। अभियुक्त का जमानत आवेदन मानवीय आधारों पर स्वीकार किया जाना चाहिए। यू.ए.पी.ए. व्यक्तिगण स्वतंत्रता के समस्त अधिकारों के विपरीत है। न्यायालय को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय दाण्डिय न्याय प्रणाली के स्थापित सिद्धांत तथा भारतीय संविधान में दिए गए संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए। अभियुक्त का जमानत आवेदन श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा दिनांक 13.10.2020 को निरस्त किया जा चुका है। वर्तमान प्रकरण में विवेचना प्रचलित है तथा अभी तक आरोपपत्र प्रेषित नहीं किया गया है। अभियुक्त एक मासूम व कानून का पालन करने वाला भारतीय नागरिक है। यदि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाता है तो वह विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा तथा जमानत का किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं करेगा। अभियुक्त AORTIC REGURGITATION नामक बीमारी से ग्रसित है, जोकि काफी गंभीर स्तर पर है तथा उससे अभियुक्त की जान जाने का भी खतरा है। अभियुक्त को उक्त प्रकरण में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध कर उसे निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना व पत्रावली (केसडायरी/समस्त अभियोजन प्रपत्रों) का परिशीलन तथा जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रस्तुत विधिव्यवस्थाओं का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। जब उक्त अभियोग पंजीकृत हुआ, तब अभियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार अभिरक्षा में थे। अभियुक्त वर्तमान में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा के

*Pa...*



आदेशानुसार न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, जिसे अभियुक्त द्वारा श्रीमान सत्र न्यायाधीश के समक्ष दाण्डिय निगरानी संख्या 184/2020 योजित कर चुनौती दी गई है। एन.आई.ए. एक्ट 2008 के अधिनियमितीकरण के बाद यू.ए.पी. एक्ट 1967 की प्रक्रिया एन.आई.ए. एक्ट के प्रावधानों के सापेक्ष होगी। संदर्भित अधिनियम (एन.आई.ए. एक्ट 2008) की धारा 2(H) में प्रावधानित है कि विशेष न्यायालय से आशय ऐसा सत्र न्यायालय है, जो संदर्भित अधिनियम की धारा 11 (केन्द्र सरकार द्वारा गठित) या धारा 22 (राज्य सरकार द्वारा गठित) के अंतर्गत नामित किया गया हो। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उपरोक्तानुसार नामित नहीं है, जिस कारण उन्हें अभियुक्त की पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा प्राधिकृत करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। न्यायिक अभिरक्षा प्राधिकृत करने का क्षेत्राधिकार के अभाव में अभियुक्त को कारागार में निरुद्ध रखा जाना अवैधानिक है, जिस कारण अभियुक्त जमानत का पात्र है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण में वर्तमान में विवेचना एस.टी.एफ. द्वारा की जा रही है, जोकि एन.आई.ए. एक्ट 2008 की धारा 6, जोकि अनुसूचित अपराध के अन्वेषण के सम्बन्ध में प्रावधानित है, के अनुसार उचित नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 6 के अनुसार अनुसूचित अपराध का अन्वेषण केन्द्र सरकार के आदेशानुसार एन.आई.ए. द्वारा ही किया जाना चाहिए। संदर्भित प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा कारित किसी विशिष्ट आपराधिक कृत्य का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि अभियुक्तगण द्वारा किन लोगों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा किसी जाति व धर्म के विरुद्ध कोई अनुचित बात नहीं कही गई, मात्र जनपद हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसे किसी विशिष्ट कृत्य का उल्लेख भी नहीं किया गया, जिससे अभियुक्त द्वारा किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान किया गया हो या उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के सम्बन्ध में कोई विद्वेषपूर्ण कार्य किया गया हो। इसके अतिरिक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसे किसी विशिष्ट कृत्य का उल्लेख भी नहीं है, जिससे अभियुक्त द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा किया गया हो या पैदा करने का प्रयत्न किया गया हो। स्पष्टतः प्रथम सूचना रिपोर्ट में उक्त सम्बन्ध में विशिष्ट कृत्यों के उल्लेख के अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 153A, 295A व धारा 124A भा०दं०सं० सृजित नहीं होती। प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसे किसी कृत्य का उल्लेख नहीं है, जिसके परिपेक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध आई. टी. एक्ट की धारा 65 व 72 सृजित होती हो। धारा 75 आई. टी. एक्ट दाण्डिक प्रावधान नहीं है वह मात्र प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रावधानित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में Carrd.co वेबसाइट का उल्लेख किया गया है, जोकि इंटरनेट पर सभी को समान रूप से उपलब्ध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त का उक्त वेबसाइट को बनाने व चलाने में कोई योगदान होने का उल्लेख नहीं किया गया है। अभियुक्त को उक्त वेबसाइट से किस प्रकार संबद्ध किया गया है यह भी स्पष्ट नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनानुसार अभियुक्त के विरुद्ध यू.ए.पी.ए. की धारा 17 व धारा 18 के अंतर्गत कोई अपराध सृजित नहीं होता। संदर्भित अधिनियम की धारा 15 आतंकवादी कृत्य को परिभाषित करती है तथा धारा 17 व धारा 18 आतंकवादी कृत्य के परिपेक्ष्य में धन अर्जित करने व षड्यंत्र के सम्बन्ध में प्रावधानित है। वर्तमान प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई विशिष्ट कृत्य दर्शित नहीं किया गया है जो संदर्भित अधिनियम की धारा 15 में आतंकवादी कृत्य की परिधि में आता हो। आतंकवादी कृत्य/गतिविधि तथा जातीय व सांप्रदायिक असंतोष व दंगे को उत्प्रेरित करना अलग-अलग कृत्य हैं। जातीय व सांप्रदायिक असंतोष व दंगे को उत्प्रेरित करना किसी प्रकार आतंकवादी गतिविधि की परिधि में नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा ऐसी किसी घटना का उल्लेख भी

*Faris*

नहीं किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा जातीय व सांप्रदायिक असंतोष व दंगे को उत्प्रेरित करने के कारण कोई जातीय/सांप्रदायिक दंगा हुआ हो। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के विरुद्ध उल्लिखित अपराध किसी प्रकार सृजित नहीं होते। अभियुक्त एक भारतीय नागरिक है, जोकि एम.ए. (प०एड०) का छात्र है। वर्तमान प्रकरण में पुलिस द्वारा अभियुक्त को गलत तरीके से अभियोगित किया गया है। अभियुक्त पर जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गई है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में अभियुक्त के विरुद्ध राजद्रोह का अपराध सृजित न होने के सम्बन्ध में निम्न विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गई हैं-

1. केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, MANU/SC/0074/1962
2. बिलाल अहमद कालू बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, निर्णय दिनांकित 06.08.1997 (माननीय उच्चतम न्यायालय)
3. संस्कार मराठे बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य, 2015 Cri L J 3561

इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थनापत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में सिद्धांतों व दिशा-निर्देशों का उल्लेख करते हुए प्रतिपादित निम्न विधि-व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गई हैं-

1. मोतीराम बनाम मध्यप्रदेश राज्य, (1978) 4 SCC 47
2. बाबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1978) 1 SCC 579
3. अनुराग वर्धन बनाम सी.बी.आई. 2003 (69) DRJ 583 (माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय)
4. दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, (2018) 3 SCC 22
5. अशोक सागर बनाम राज्य (NCT Delhi), 2018 SCC Online Del 9548
6. पी.चिदम्बरम बनाम सी.बी.आई., 2019 SCC Online SC 1549
7. प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, 2020 SCC Online SC 75
8. देवांगना कलीता बनाम एन.सी.टी. दिल्ली राज्य, 2020 SCC Online Del 1092
9. नवेन्दू बब्बर बनाम एन.सी.टी. दिल्ली राज्य, जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 913/2020 निर्णित दिनांक 18.06.2020 (जरिए वी.सी.)

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्थाएं भी प्रस्तुत की गई हैं-

1. हितेन्द्र विष्णु ठाकुर व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य, (1994) 4 SCC 602
2. बिक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, SLP (Cri) संख्या 2933/2020 निर्णित दिनांकित 12.10.2020

राज्य की ओर से विद्वान ए.डी.जी.सी. (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों से उनके विरुद्ध राजद्रोह, धर्म व जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने, धर्म व धार्मिक विश्वासों का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को आहत करने, जनपद हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की आड़ में सामाजिक विद्वेष व जातिगत तनाव तथा सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करते हुए दंगा भड़काने व शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करने, Carrd.co नामक वेबसाइट से Justice for Hathras Victim की वेबसाइट बनाकर विदेश से चंदा प्राप्त कर उसका उपयोग समाज में हिंसा भड़काने में करने, अभियुक्त व सह-अभियुक्तगण से बरामद पम्पलेट सामाजिक वैमनस्यता बढ़ाने वाली तथा जनविद्रोह भड़काने वाली होने, उक्त वेबसाइट के माध्यम से विघटनकारी तत्वों के समर्थन में राष्ट्रविरोधी प्रचार कर युवाओं में राष्ट्रविरोधी भावनाओं



*[Handwritten signature]*

को जागृत करने, समाज में अस्थिरता पैदा करने, सामाजिक सद्भाव को भंग कर समाज में हिंसा फैलाने, समाज में अस्थिरता पैदा कर बड़े पैमाने पर दंगा फैलाने तथा भारतीय संविधान एवं विधि द्वारा स्थापित नियमों के विपरीत कार्य में संलिप्त होना दर्शित है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, जोकि आजीवन कारावास तक से दण्डनीय है। अभियुक्त व सह-अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद मोबाईल, लैपटॉप तथा पम्पलेट को जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से अभी तक जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया गया, तो उसके जमानत का दुरुपयोग कर भारत/राज्य सरकार के विरुद्ध किसी गंभीर आपराधिक कृत्य करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त के विरुद्ध सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर राजद्रोह, धर्म व जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने, धर्म व धार्मिक विश्वासों का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को आहत करने, जनपद हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की आड़ में सामाजिक विद्वेष व जातिगत तनाव तथा सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करते हुए दंगा भड़काने व शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करने, Carrd.co नामक वेबसाइट से Justice for Hathras Victim की वेबसाइट बनाकर विदेश से चंदा प्राप्त कर उसका उपयोग समाज में हिंसा भड़काने में करने, अभियुक्त व सह-अभियुक्तगण से बरामद पम्पलेट सामाजिक वैमनस्यता बढ़ाने वाली तथा जनविद्रोह भड़काने वाली होने, उक्त वेबसाइट के माध्यम से विघटनकारी तत्वों के समर्थन में राष्ट्रविरोधी प्रचार कर युवाओं में राष्ट्रविरोधी भावनाओं को जागृत करने, समाज में अस्थिरता पैदा करने, सामाजिक सद्भाव को भंग कर समाज में हिंसा फैलाने, समाज में अस्थिरता पैदा कर बड़े पैमाने पर दंगा फैलाने तथा भारतीय संविधान एवं विधि द्वारा स्थापित नियमों के विपरीत कार्य में संलिप्त होने का अभियोग है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार अभियुक्त द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में प्राधिकृत किए जाने के क्षेत्राधिकार को दायित्विक निगरानी संख्या 184/2020 के माध्यम से चुनौती दी गई है, जोकि वर्तमान में श्रीमान सत्र न्यायाधीश, मथुरा के समक्ष के विचाराधीन है। इस प्रकार अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में प्राधिकृत होने के सम्बन्ध में अन्य न्यायालय के समक्ष उक्त निगरानी के विचाराधीन होने की दशा में सम्बन्धित न्यायालय की अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में प्राधिकृत करने की अधिकारिता होने अथवा न होने के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा कोई विचार व्यक्ति किया जाना अथवा उक्त तथ्य का निर्धारण किया जाना, संदर्भित सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप की परिधि में आएगा, जोकि स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। जहाँ तक अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण की इस न्यायालय को अधिकारिता होने का प्रश्न है, तो उस सम्बन्ध में एन.आई.ए. एक्ट की धारा 22 की उपधारा (3) इस आशय की प्रावधानित है कि जहाँ राज्य सरकार द्वारा संदर्भित अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों के विचारण हेतु किसी विशेष न्यायालय का गठन नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उक्त अपराधों के विचारण की अधिकारिता ऐसे सत्र न्यायालय को होगी, जिसकी अधिकारिता में संदर्भित अनुसूचित अपराध कारित किया गया है। माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा थावहा फसल व अन्य बनाम केरल राज्य व अन्य, MANU/KE/5104/2019 में यह अवधारित किया गया है कि "..... Therefore it is clear that, with respect to an offence under the UA (P) Act, which is specified in the schedule of NIA Act, the Sessions Court is only exercising the jurisdiction which is

*Fauzi*

*Fauzi*

conferred on the Special Court and that such Court is vested with all the powers conferred by the NIA Act and it is bound to follow the procedure provided under the relevant chapter of the NIA Act. Hence, even though the offence is not tried by the Special Court, the Sessions Court is exercising only the jurisdiction of the Special Court, as conferred by the NIA Act. Therefore, for all practical purposes, the Sessions Court which is trying an offence under the UA(P) Act, which is a scheduled offence, need to be deemed as a Special Court, irrespective of whether the investigation is conducted by the NIA or not. "

जहाँ तक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के वर्तमान प्रकरण में एन.आई.एक्ट की धारा 6 का पुलिस द्वारा अनुपालन न किए जाने का तर्क है, तो उस सम्बन्ध में संदर्भित प्रावधान के आलोक में न्यायालय का मत है कि केन्द्र सरकार के मतानुसार प्रकरण में संदर्भित अपराध के अनुसूचित अपराधों की श्रेणी में होने तथा उसका अन्वेषण एन.आई.ए. द्वारा कराया जाना ही उचित होने की स्थिति में अन्वेषण कार्य एन.आई.ए. द्वारा किया जाएगा अन्यथा संदर्भित अपराध का अन्वेषण राज्य सरकार अपनी किसी अन्वेषण संस्था से कराने हेतु स्वतंत्र है।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा कारित किसी विशिष्ट आपराधिक कृत्य का उल्लेख नहीं किया गया है, न ही इसका उल्लेख है कि अभियुक्त द्वारा किस वर्ग के लोगों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने का प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य किया गया है, न ही उसका उल्लेख है कि अभियुक्त द्वारा किस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान किया गया है या उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के सम्बन्ध में कोई विद्वेषपूर्ण कार्य किया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसे भी किसी विशिष्ट कृत्य का उल्लेख नहीं है, जिससे उसके द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा किया गया हो या पैदा करने का प्रयत्न किया गया हो। इसके अतिरिक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों से अभियुक्त के विरुद्ध आई.टी. एक्ट तथा यू.ए.पी.ए. के अंतर्गत संदर्भित अपराध भी उसके विरुद्ध सृजित नहीं होते। उक्त सम्बन्ध में न्यायालय का मत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी अपराध के तथ्यों के सम्बन्ध में विश्वकोष (Encyclopedia) नहीं होती। प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के समय मात्र यह आवश्यक है कि शिकायतकर्ता अपराध की प्रकृति की गंभीरता तथा अभियुक्त की पहचान का उचित वर्णन कर सके। उक्त आशय का सिद्धांत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जरनैल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य, AIR 2010 SC 3699 तथा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा रूप सिंह पाण्डेय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, MANU/UP/0317/2016 में प्रतिपादित किये गये हैं। स्पष्टतः प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के समय प्रकरण में संदर्भित घटना से सम्बन्धित आवश्यक तथ्यों को ही उल्लिखित किया जाना आवश्यक है। घटना से सम्बन्धित अन्य तथ्य व साक्ष्य विवेचना के क्रम में संकलित किया जा सकता है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 124A भा०दं०स० अंतर्गत अपराध सृजित न होने के सम्बन्ध में अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा केदारनाथ बनाम बिहार राज्य MANU/SC/0074/1962 में प्रतिपादित सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा केदारनाथ बनाम बिहार राज्य में यह अवधारित किया गया है कि " ..the Provisions of the section read as a whole, along with the explanations make it reasonably clear that the Section aim at rendering penal only such activities as

*Signature*

would be intended, or have a tendency, to create disorder or disturbance of public peace by resort to violence. As already pointed out, the explanations appended to the main body of the section make it clear that criticism of public measures or comment on Government action, however strongly worded, would be within reasonable limits and would be consistent with the fundamental right of freedom of speech and expression. It is only when the words, written or spoken, etc. which have the pernicious tendency or intention of creating public disorder or disturbance of law and order that the law steps in to prevent such activities in the interest of public order. So construed, the section, in our opinion, strikes the correct balance between individual fundamental rights and the interest of public order. It is also well settled that in interpreting an enactment the Court should have regard not merely to the literal meaning of the words used, but also take into consideration the antecedent history of the legislation, its purpose and the mischief it seeks to suppress vide (1) The Bengal Immunity Company Limited v. The State of Bihar and (2) R.M.D Charnarbaugwalla v. The Union of India. Viewed in that light, we have no hesitation in so construing the provisions of the sections impugned in these cases as to limit their application to acts involving intention or tendency to create disorder, or disturbance of law and order, or incitement to violence." स्पष्टतः वह कृत्य, जिसकी प्रवृत्ति या उद्देश्य सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाना या शान्ति व्यवस्था भंग करना है, तो ऐसी स्थिति में लोकहित में विधिक कार्यवाही की जा सकती है। वर्तमान प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध धर्म व जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने, जनपद हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की आड़ में सामाजिक विद्वेष व जातिगत तनाव तथा सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करते हुए दंगा भड़काने व शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करने, Carrd.co नामक वेबसाइट से Justice for Hathras Victim की वेबसाइट बनाकर विदेश से चंदा प्राप्त कर उसका उपयोग समाज में हिंसा भड़काने में करने, अभियुक्त व सह-अभियुक्तगण से बरामद पम्पलेट सामाजिक वैमनस्यता बढ़ाने वाली तथा जनविद्रोह भड़काने वाली होने, उक्त वेबसाइट के माध्यम से विघटनकारी तत्वों के समर्थन में राष्ट्रविरोधी प्रचार कर युवाओं में राष्ट्रविरोधी भावनाओं को जागृत करने, समाज में अस्थिरता पैदा करने, सामाजिक सद्भाव को भंग कर समाज में हिंसा फैलाने, समाज में अस्थिरता पैदा कर बड़े पैमाने पर दंगा फैलाने तथा भारतीय संविधान एवं विधि द्वारा स्थापित नियमों के विपरीत कार्य में संलिप्त होने का अभियोग है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों के आधार तथा दौरान विवेचना विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध संदर्भित अपराध सृजित नहीं होता है। वर्तमान प्रकरण में विवेचना प्रचलित है तथा विवेचक द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के अनुक्रम में प्रकरण में संदर्भित अपराध के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है। जमानत के प्रक्रम पर न्यायालय द्वारा साक्ष्य का विश्लेषण नहीं किया जाना है, अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का सृजन साक्ष्य के परिपेक्ष्य में विचारण के स्तर पर ही देखा जा सकता है। माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा थावहा फसल व अन्य बनाम केरल राज्य व अन्य, MANU/ KE/5104/2019 में यह अवधारित किया गया है कि ".....We are of the definite view that at this stage of the case, neither the Sessions Judge/

*Fau*

Special Judge nor this Court is expected to find from the materials placed before the court as to what is/are the precise offence(s) made out from the records. Such an adjudication can be done only at the trial and, in any case, it cannot be done at this stage. We shall only embark on a consideration as to whether prima facie any offence requiring an investigation, by keeping the accused in custody, is made out or not and also if the materials produced prima facie reveal their complicity in the offences alleged, could their release on bail hamper in any way the progression of investigation."


यू.ए.पी.ए की धारा 43D की उपधारा (5) व (6) इस आशय की प्रावधानित है कि-

(5) Notwithstanding anything contained in the Code, no person accused of an offence punishable under Chapters IV and VI of this Act shall, if in custody, be released on bail or on his own bond unless the Public Prosecutor has been given an opportunity of being heard on the application for such release:

Provided that such accused person shall not be released on bail or on his own bond if the Court, on a perusal of the case diary or the report made under section 173 of the Code is of the opinion that there are reasonable grounds for believing that the accusation against such person is prima facie true.

(6) The restrictions on granting of bail specified in sub section (5) is in addition to the restrictions under the Code or any other law for the time being in force on granting of bail.

इस प्रकार धारा 43D की उपधारा (5) का परन्तुक विशेष न्यायालय के अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है, यदि केसडायरी या धारा 173 दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर विशेष न्यायालय के पास यह मानने के लिए उचित आधार है कि अभियुक्त द्वारा संदर्भित अधिनियम के अध्याय 4 और/ या अध्याय 6 के अंतर्गत अपराध कारित करने के सम्बन्ध में लगा आक्षेप प्रथम दृष्टया सही है। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर राजद्रोह, धर्म व जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने, धर्म व धार्मिक विश्वासों का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को आहत करने, जनपद हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की आड़ में सामाजिक विद्वेष व जातिगत तनाव तथा सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करते हुए दंगा भड़काने व शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करने, Carrd.co नामक वेबसाइट से Justice for Hathras Victim की वेबसाइट बनाकर विदेश से चंदा प्राप्त कर उसका उपयोग समाज में हिंसा भड़काने में करने, अभियुक्त व सह-अभियुक्तगण से बरामद पम्पलेट सामाजिक वैमनस्यता बढ़ाने वाली तथा जनविद्रोह भड़काने वाली होने, उक्त वेबसाइट के माध्यम से विघटनकारी तत्वों के समर्थन में राष्ट्रविरोधी प्रचार कर युवाओं में राष्ट्रविरोधी भावनाओं को जागृत करने, समाज में अस्थिरता पैदा करने, सामाजिक सद्भाव को भंग कर समाज में हिंसा फैलाने, समाज में अस्थिरता पैदा कर बड़े पैमाने पर दंगा फैलाने तथा भारतीय संविधान एवं विधि द्वारा स्थापित नियमों के विपरीत कार्य करने का अभियोग है। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना वादी मुकदमा तथा अन्य गवाहान के ब्यान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० लेखबद्ध किए गए हैं, जिनमें उनके द्वारा अभियोजन कथानक का पूर्णरूपेण समर्थन किया गया है। अभियुक्त व सह-अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद मोबाईल, लैपटॉप तथा पम्पलेट को जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से अभी तक जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनानुसार अभियुक्त सह-अभियुक्तगण के



*[Handwritten signature]*

साथ राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, जोकि आजीवन कारावास तक से दण्डनीय है।

अतः प्रकरण के अत्यन्त गम्भीर होने के कारण उपरोक्त निष्कर्ष व समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा यू.ए.पी.ए. की धारा 43D की उपधारा (5) में प्रावधानित परन्तुक की न्यायालय की जमानत स्वीकार करने की प्रतिबंधता के आलोक में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निःसंदेह निरस्त किये जाने योग्य है।

### आदेश

अभियुक्त मसूद द्वारा मु० अ० सं० - 199/2020 अंतर्गत धारा- 153A, 295A, 124A भा०द०सं० व धारा 17, 18 गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम व धारा 65, 72, 75 आई.टी.एक्ट थाना- मांट, जिला- मथुरा के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

इस जमानत आदेश की प्रति कार्यालय लिपिक द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को नियमानुसार प्रदान की जाये।

दिनांक 13.11.2020



aw  
13/11/2020  
(मयूर जैन)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
न्यायालय कक्ष सं०-11, मथुरा।



प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिक  
जनपद एवं सत्र न्यायालय मथुरा

Hi  
copy received  
13/11/20





3. That several annexures to the accompanying Affidavit are in vernacular and could not be translated due to paucity of time and are correct. The applicant undertakes to file the translated copies as per directions of this Hon'ble Court. That the accompanying affidavit could not be notarised and is being filed with signatures of the deponent therein at Delhi.
4. That it will be in the interest of justice that the Applicant Respondent No. 2 &3 be exempted from filing Official Translation of the Annexures to accompanying Affidavit.

**PRAYER**

It is therefore most respectfully prayed that this Hon'ble Court may be pleased to:

- a) exempt the applicant from filing Official Translation of the Annexures to the accompanying Affidavit and filing notarized affidavit in the above Writ Petition.
- b) pass any such other or further orders as this Hon'ble Court may deem fit in the facts and circumstances of this case.

**AND FOR THIS ACT OF KINDNESS THE APPLICANT AS IN DUTY BOUND SHALL EVER PRAY.**

DRAWN AND FILED BY:



**[GARIMA PRASHAD]**

ADVOCATE FOR RESPONDENT NO. 2&3

**DRAWN ON: 20.11.2020**

**FILED ON: 20.11.2020**